जल शक्ति का पहला वर्ष 2019-20

जल शक्ति – जन शक्ति

जल प्रबंधन में सबकी भागीदारी

सत्यमेव जयते

जलशक्ति मंत्रालय
भारत सरकार
मई, 2020

आपो हिष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन।
महे रणाय चक्षसे।।1।।
यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः।
उशतीरिव मातरः।।2।।

(ऋग्वेद संहिता-10.9.1-2)

जल आनंद का स्रोत है, ऊर्जा का भंडार है।
कल्याणकारी है।।
पवित्र करने वाला है।
और माँ की तरह पोषक तथा जीवनदाता है।।

Water is the source of
happiness, energy, health and piety,
and is life giving as mother!

श्री नरेंद्र मोदी
भारत के माननीय प्रधानमंत्री

"..... मैं आज लाल किले से घोषणा करता हूं कि आने वाले दिनों में हम **जल जीवन मिशन** को और आगे बढ़ाएंगे। केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से इस जल जीवन मिशन पर काम करेंगी। हमने आने वाले वर्षों में इस मिशन पर **3.50 लाख करोड़ रुपए** से अधिक खर्च करने का वादा किया है..."

(15 अगस्त, 2019 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस के संबोधन का उद्धरण)

"..... इस मिशन का कार्यान्वयन समुदाय के हाथों में है, इस मिशन को लागू करने के लिए गाँव के सभी सदस्यों को एक साथ आना है ... जल पाइपलाइन, जल संचयन, प्रचालन और रखरखाव के मार्ग पर निर्णय स्वयं लोगों द्वारा लिया जाएगा और हमारी बहनों को इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है..."

(29 फरवरी, 2020 को बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री के संबोधन का उद्धरण)

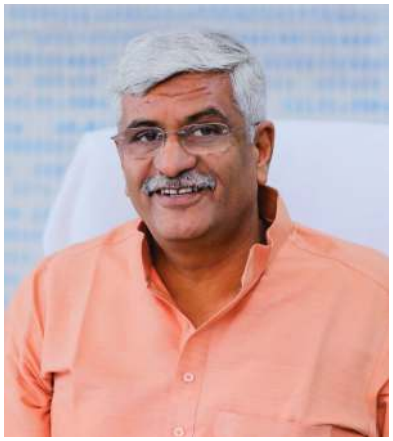

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत
माननीय जल शक्ति मंत्री

"चलो एक साथ मिलकर कुछ नया करें, रोज़मर्रा व पारंपरिक सोच से कुछ अलग सोचें एवं सभी बाधाओं के खिलाफ लड़ने के लिए एक दूसरे की सहायता करें। चलो साथ मिलकर अपने पानी, इससे जुड़ी ज़िंदगीयां व अपने ग्रह को बचाएँ।"

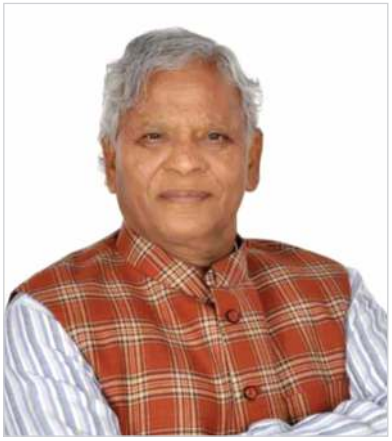

श्री रतन लाल कटारिया
माननीय राज्य मंत्री (जल शक्ति)

"जल जीवन मिशन जलापूर्ति क्षेत्र में एक सुधार व एकीकृत दृष्टिकोण को शुरू से अंत तक पुन: उपयोग और पुनर्भरण को ध्यान में रख कर शामिल किया गया है। यह कार्यक्रम भी स्वच्छ भारत मिशन के जैसे जन आंदोलन रूप में काम करेगा।"

अनुक्रमणिका

1. **पृष्ठभूमि:** जल शक्ति का प्रथम वर्ष 5

2. **जल शक्ति कार्यक्रम** 9

   - जल जीवन मिशन
   - जल शक्ति अभियान
   - स्वच्छ भारत मिशन
   - नमामि गंगे
     गंगा नदी के लिए एक संबोधगीत - भारत की जीवन रेखा
   - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
     त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पी.एम.के.एस.वाई.)
   - अटल भूजल योजना

3. **जल प्रशासन:** एजेंसियां और संस्थाएं 43

4. **अनुसंधान एवं विकास:** जल संबंधी नवाचार और प्रौद्योगिकी 47

5. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** सामान्य लक्ष्यों के लिए मिलकर काम करना 50

6. **महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि:** 150वीं जयन्ती मनाया जाना 53

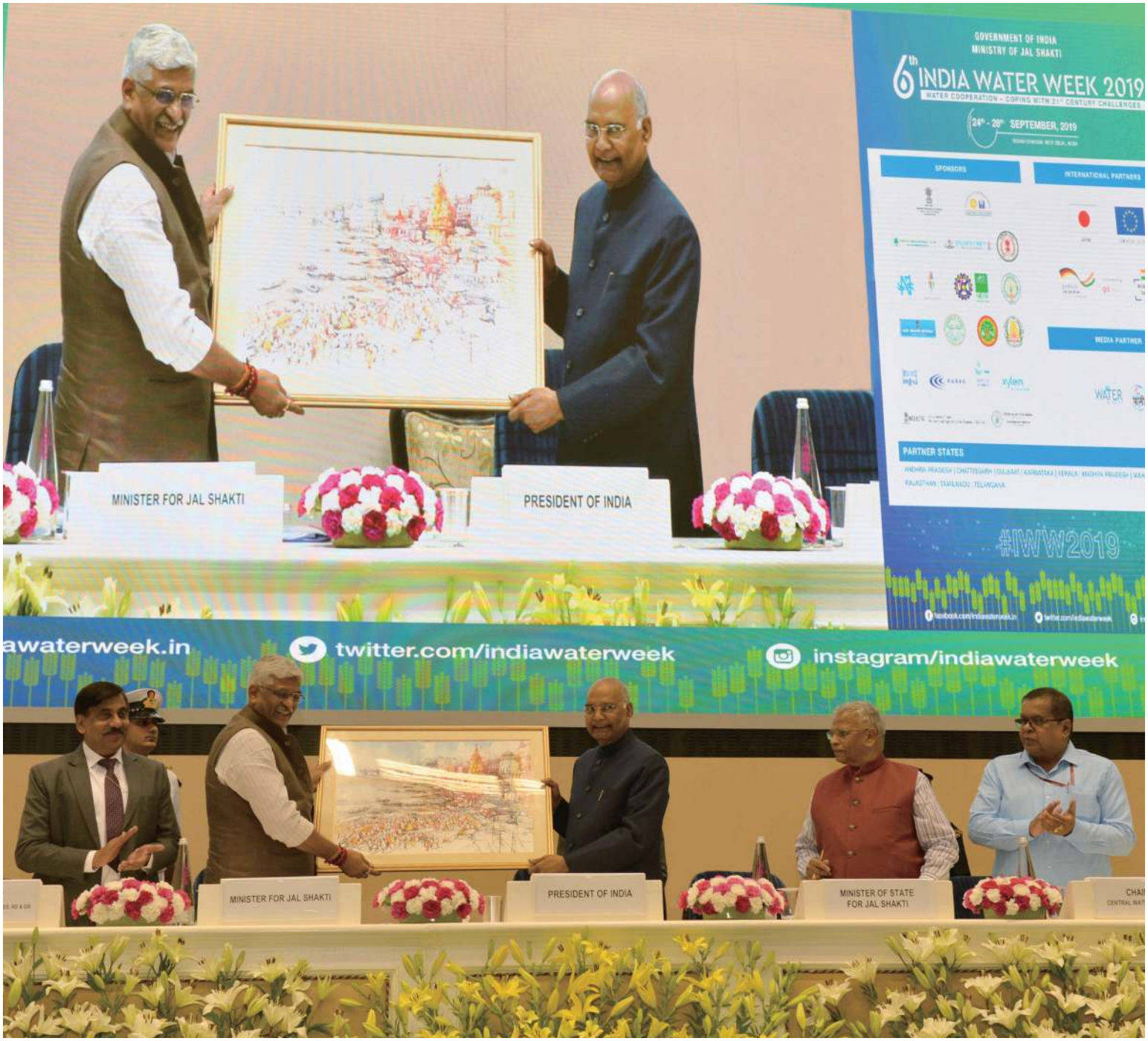

माननीय राष्ट्रपति और जल शक्ति मंत्री भारत जल सप्ताह में

पृष्ठभूमि

जल शक्ति का प्रथम वर्ष

माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जल शक्ति मंत्री राज्यपाल सम्मेलन - 2019 में

भारत की संपन्नता हेतु जल सुरक्षा

जल जीवन के लिए अमृत एवं ऊर्जा का स्रोत है। मानव सभ्यता, मानवीय जीवन, हमारी अर्थव्यवस्था एवं कृषि, हमारे अस्तित्व के प्रत्येक पहलू, जल एवं इसके संरक्षण के एक प्रमुख संसाधन के रूप में भारतीय लोकाचार और रीति-रिवाजों और संस्कृति में इसका एक केंद्रीय स्थान रहा है। जल की पहुँच न केवल हमारी अर्थव्यवस्था में है अपितु सामाजिक-आर्थिक समानता एवं लैंगिक न्याय के लिए भी महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जल को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और एक सुव्यविस्थत तरीके से जल प्रबंधन पर काम कर रही है। इस प्रयास के एक भाग के रूप में 30 मई, 2019 को सरकार के शपथ ग्रहण के उपरान्त ही जल के सभी पहलुओं पर कार्य करने हेतु एक एकीकृत मंत्रालय - जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया था। व्यापक रूप से जल संसाधन एवं जल आपूर्ति के कार्य संचालन के लिए विभिन्न विभागों तथा मंत्रालयों को एक कार्य समूह के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके सभी स्वरूपों - मांग और आपूर्ति, गुणवत्ता और पहुंच में जल को अंतत: समग्र रूप में माना जा रहा है।

देश के आर्थिक विकास में जल की अहम भूमिका है। यह महत्वपूर्ण है कि जल का प्रबंधन बेहतर और कुशलता से किया जाए क्योंकि जल की कमी का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जो भारत के मामले में, सकल घरेलू उत्पाद के छह प्रतिशत के बराबर हो सकता है। गणना काफी सीधी है। औद्योगिक गतिविधियों का जीडीपी में 30 प्रतिशत हिस्सा है और इसे 2030 तक आज के उपयोग के

> 137 करोड़ लोगों वाले देश में सभी के लिए पीने योग्य जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना इस नवगठित जल शक्ति मंत्रालय का प्रमुख लक्ष्य है। वर्ष 2024 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए 15 अगस्त, 2019 को **जल जीवन मिशन - हर घर जल** की घोषणा की।

चार गुना जल की आवश्यकता होगी। इसमें समग्र रूप से बेहतर जल प्रबंधन की अपेक्षा है - विशेष रूप से कृषि में बेहतर जल प्रबंधन अहम है।

जैसे ही जल प्रबंधन की एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाया जाएगा सतही एवं जल की उपलब्धता में सुधार आएगा; जल पट्टी का अभाव पूर्णतया बदल जाएगा; जल उपयोग की क्षमता में सुधार आएगा; प्रत्येक परिवार को पेयजल मुहैया कराने की दृष्टि से सेवा प्रदान करने की सुविधा में सुधार होगा; जल गुणवत्ता के मामलों का समाधान हो सकेगा; और स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से गांवों में कड़ी मेहनत से प्राप्त खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखने में सहायता मिलेगी।

सरकार का जोर एकीकृत जल प्रबंधन के लिए जमीनी स्तर पर सूक्ष्म नियोजन पर है ताकि सभी को जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उल्लेखनीय पहलें, जिनमें भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली - गंगा नदी प्रणाली का संरक्षण शामिल है। भारत की लगभग 40 प्रतिशत आबादी गंगा नदी पर निर्भर है। मात्रा और गुणवत्ता दोनों दृष्टिकोणों से गंगा नदी प्रणाली के कायाकल्प और बेसिन के व्यापक प्रबंधन के लिए कठोर प्रयास किए जा रहे हैं।

137 करोड़ लोगों वाले देश में सभी के लिए पीने योग्य जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना इस नवगठित जल शक्ति मंत्रालय का प्रमुख लक्ष्य है। वर्ष 2024 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए 15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन - हर घर जल की घोषणा की। राज्यों की भागीदारी में कार्यान्वित इस परिवर्तनशील जल जीवन मिशन के अंतर्गत 3.60 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय से 19 करोड़ ग्रामीण परिवारों के लिए नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता में घरेलू स्तर पर पीने योग्य जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 2024 तक हर घर में एक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन मुहैया कराना है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत आईटी आधारित सेंसर मॉनीटरिंग व्यवस्था जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के आकलन एवं उसके उपयोग के माध्यम से स्मार्ट जल प्रबंधन संबंधी पहलें शामिल की जा रही हैं और 'जल सेवा के रूप में' के लिए जल उपयोगिता की अवधारणा का विकास किया जा रहा है जिससे ग्राम पंचायत अथवा उसकी उप-समिति / जल समिति द्वारा ग्राम स्तरीय प्रबंधन सहित इसमें दक्षता लाई जा रही है, जिससे वे इसके न्यायोचित उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए इसके उपयोग का निर्धारण कर सकेंगे और सेवा सुपुर्दगी प्रभार लगा सकेंगे। इसकी योजना, प्रबंधन, प्रचालन और रखरखाव में स्थानीय समुदायों की अधिक से अधिक भागीदारी और उनको इसमें शामिल करने तथा जल प्रबंधन को 'हरेक का कार्य' बनाने पर जोर दिया गया है। जल जीवन मिशन एक ऊपर से नीचे होने वाला प्रबंधित सरकारी कार्यक्रम नहीं है; बल्कि यह **संपूर्ण भारत के लोगों का जल संबंधी आंदोलन है।**

इस नई जल चेतना के एक भाग के रूप में, जल शक्ति अभियान, नागरिक भागीदारी में तैयार किया गया एक गहन समय-बद्ध मिशन-मोड जल संरक्षण अभियान था जो जुलाई से दिसंबर 2019 तक दो चरणों में लागू किया गया था। इसमें देश भर में 256 जल-प्रभाव ग्रस्त जिलों को कवर किया।

जल प्रबंधन सबका कार्य बनाने के लिए, अटल भूजल योजना (या साधारण रूप में अटल जल) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 25 दिसंबर 2019 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती पर शुरू की गई एक भूजल प्रबंधन योजना

है। इस योजना का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार करना है और यह जल जीवन मिशन के माध्यम से किए गए निवेश को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे जून, 2014 में केंद्र सरकार द्वारा एक फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में नामित किया गया था। प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और गंगा जो कि उत्तरी और पूर्वी भारत की जीवन रेखा है, के संरक्षण और कायाकल्प के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसका बजट परिव्यय 20,000 करोड़ रुपये रखा गया है।

राष्ट्रीय जलदायी स्तर मापचित्रण कार्यक्रम (नेशनल एक्विफर मैपिंग प्रोग्राम) दुनिया का अपनी तरह का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इसमें भूजल के सतत विकास की सुविधा के लिए जलदायी स्तर प्रबंधन योजनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है। अब तक एक मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक की मैपिंग की गई है और आने वाले समय में और 1.5 मिलियन वर्ग किमी की मैपिंग की जाएगी। जल के उपयोग और प्रबंधन के सभी पहलुओं में जल उपयोग दक्षता की अवधारणा को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। जल शोधन, शुद्धिकरण, पुन: उपयोग आदि से संबंधित कई नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.), जिसमे लंबे समय से लंबित सिंचाई परियोजना को पूरा करने की प्राथमिकता दी गई है, को 'हर खेत को जल' (हर क्षेत्र के लिए जल) सुनिश्चित करने और 'प्रति बूंद अधिक फसल' के दृष्टिकोण के साथ जल के उपयोग की दक्षता में सुधार करने के विजन के साथ लागू किया जा रहा

सचिव, पेयजल एंव स्वच्छता विभाग के विश्व शौचालय दिवस, 2019 पर

है। इसमें स्रोत निर्माण, वितरण, प्रबंधन, क्षेत्रीय अनुप्रयोग और विस्तार गतिविधियों वाला एंड-टू-एंड समाधान का प्रावधान किया गया है। इसमें लघु सिंचाई पर फोकस किया गया है जिसमें जल-उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई का उपयोग किया गया है ।

जल शक्ति मंत्रालय गोदावरी नदी पर बनने वाले पोलावरम बहुउद्देश्यीय परियोजना के निर्माण में सहायता कर रहा है।

इसमें बांधों और जल भंडारण अवसंरचनाओं की सुरक्षा और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। किसी भी देश में बड़े बांधों की सूची में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। बांध पुनरूद्धार और सुधार कार्यक्रम (ड्रीप) के तहत 200 बांधों का पुनरूद्धार कार्य पूरा किया गया है। धर्मा एप्लीकेशन (डैम हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन) विकसित किया गया है और यह प्रणाली बांधों की मजबूती की बेहतर निगरानी में मदद कर रही है।

कानूनी और नीतिगत ढांचे के अलावा सुदृढ़ जल प्रशासन के लिए, जल शक्ति मंत्रालय के पास एक सुव्यवस्थित संस्थागत नेटवर्क है। यह अनेक एजेंसियों, संस्थाओं और स्वायत्त निकायों के साथ अनेक जल संबंधी मुद्दों पर सुसंगत तरीके से काम करता है। वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय के प्रशासन के अंतर्गत दो सम्बद्ध कार्यालय, सात अधीनस्थ कार्यालय और 12 स्वायत्त निकाय कार्य कर रहे हैं।

कार्यशील घरेलू नल कनेक्शनों की स्थिति

(01.04.2019 की स्थिति के अनुसार)

हर घर जल
जल जीवन मिशन

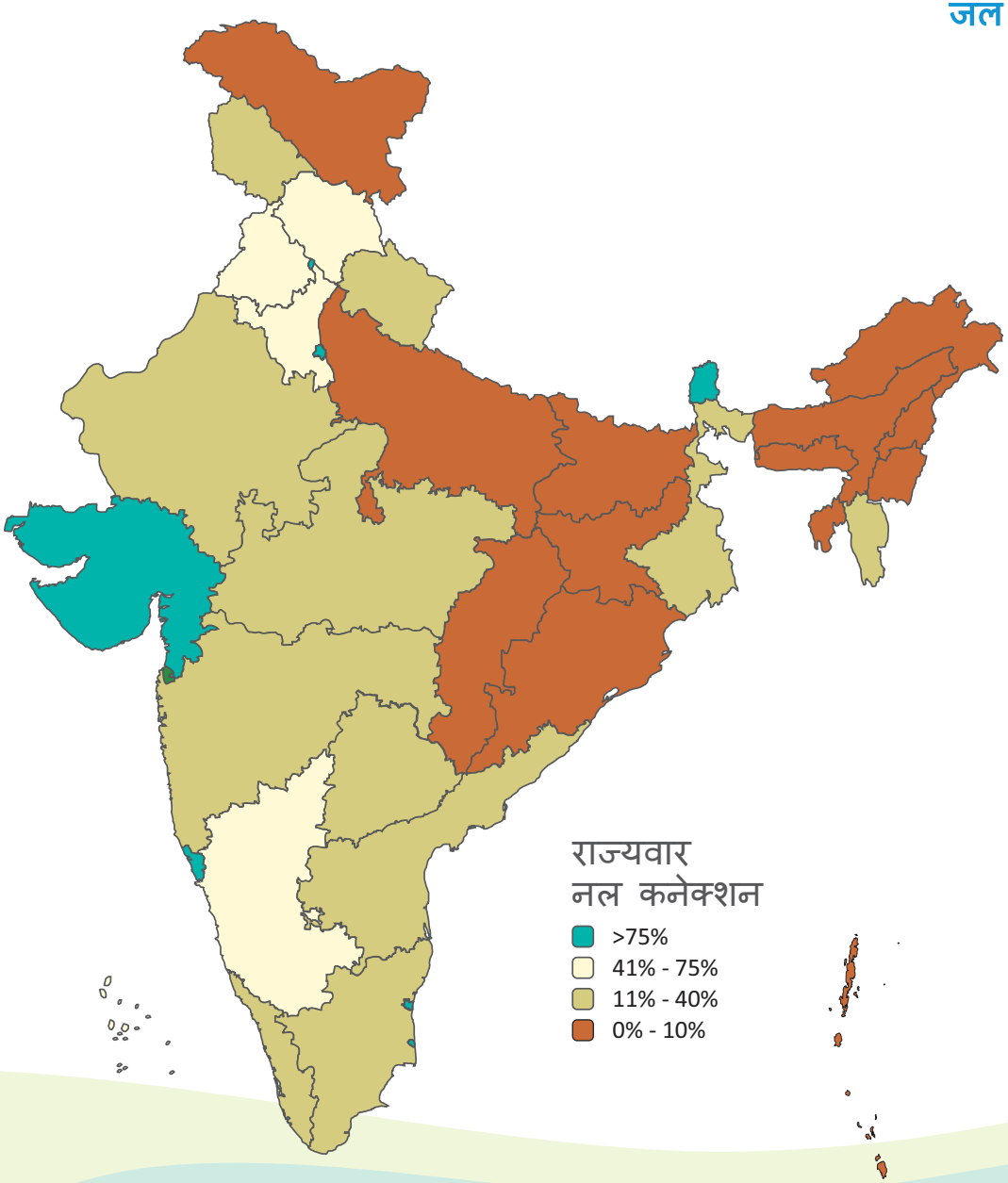

जल शक्ति कार्यक्रम

जल जीवन मिशन

हर घर जल
जल जीवन मिशन

प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के संचालन दिशा निर्देश जारी किए

जल जीवन मिशन: हर घर जल
2024 तक प्रत्येक परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफ.एच.टी.सी.)

स्वतंत्रता दिवस, 2019 के अवसर पर राष्ट्र को संबोधन के समय माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2024 तक प्रत्येक परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन मुहैया कराने के लिए राज्यों की भागीदारी से कार्यान्वित किए जाने वाले जल जीवन मिशन (जे.जे.एम.) की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री जी ने जल प्रबंधन हरेक का कार्य-जन आंदोलन का आह्वान किया।

इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण लोगों के जीवन में सुधार करना तथा महिलाओं विशेषकर लड़कियों को उनके घर के भीतर सुरक्षित जल प्रदान करके उनके द्वारा किए जा रहे कठिन परिश्रम को कम करना है। इसमें यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक ग्रामीण महिला और उनके परिवार में पर्याप्त मात्रा में नियमित एवं दीर्घकालिक आधार पर स्वच्छ जल मुहैया किया जाए।

इस मिशन के लिए 3.60 लाख करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जिसमें 2.08 लाख करोड़ रुपए केंद्रीय हिस्सा है और 1.52 लाख करोड़ रुपए राज्यों द्वारा वहन किया जाना है; परिवारों की पुर्नवैद्यता और नल जल आपूर्ति की स्थिति का कार्य देशव्यापी रूप से किया गया है। दिनांक 01.04.2019 की स्थिति के अनुसार देश में 18.93 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 3.23 करोड़ परिवारों के पास नल

> "इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण लोगों के जीवन में सुधार करना तथा महिलाओं विशेषकर लड़कियों को उनके घर के भीतर सुरक्षित जल प्रदान करके उनके द्वारा किए जा रहे कठिन परिश्रम को कम करना है।"

कनेक्शन हैं और शेष 15.70 करोड़ परिवारों को नल कनेक्शन मुहैया कराया जाना है।

इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- अवसंरचना के सृजन के बजाए 'सेवा प्रदान करने' पर जोर दिया जाना;
- ग्राम पंचायत और/ अथवा उनकी उप समिति अर्थात् ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वी.डब्ल्यू.एस.सी.)/ जल समिति अथवा उपयोगकर्ता समूह द्वारा उनकी अपनी जल आपूर्ति व्यवस्था संबंधी योजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन तथा रखरखाव किया जाना;
- जे.जे.एम. को वास्तविक रूप में 'जल आंदोलन' के रूप में लागू करने के लिए समुदाय की क्षमता बढ़ाने के वास्ते कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों के रूप में एस.एच.जी./ समुदाय आधारित संगठन/ एन.जी.ओ. को शामिल करना;
- जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित जल सुनिश्चित किया जा रहा है। अन्य प्राथमिक क्षेत्रों में जल अभावग्रस्त क्षेत्र, आकांक्षी जिले, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति बाहुल्य गांव/ बस्तियां, सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस.एजी.वाई.) के तहत गांव और पीवीटीजी बस्तियां शामिल हैं;
- ग्राम वासियों को राजमिस्त्री, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर आदि कार्य में कुशल बनाया जा रहा है ताकि जल आपूर्ति व्यवस्था का दीर्घकालिक रखरखाव सुनिश्चित किया जा सके;
- समुदाय के बीच 'अपने की भावना' जगाने के उद्देश्य से समुदायों से पहाड़ी और वन क्षेत्रों/

राज्य मंत्रियों का सम्मेलन जल जीवन मिशन पर

राष्ट्रपति भवन में राज्यपाल सम्मेलन - 2019 का आयोजन

पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के गांवों में नकद/ अन्य रूप/ श्रम में पूंजी लागत का 5 प्रतिशत हिस्सा लिया जाना और अन्य क्षेत्रों के 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति और/ अथवा अनुसूचित जनजाति आबादी वाले गांवों से पूंजी लागत का 10 प्रतिशत हिस्सा लिया जाना;

- जी.पी./ वी.डब्ल्यू.एस.सी./ जल समिति को इस योजना के पूर्ण होने और प्रचालन एवं रखरखाव के सफल प्रदर्शन के बाद कार्य निष्पादन प्रोत्साहन के रूप में 'ग्रामीण अवसंरचना' का 10 प्रतिशत प्रदान किया जाना;
- जल आपूर्ति की गुणवत्ता की निगरानी के लिए राज्य, जिला तथा ब्लॉक स्तर पर जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं को मजबूत बनाना और उनकी स्थापना करना और उन्हें आमजन के लिए खोलना;
- प्रत्येक गांव में 5 व्यक्तियों विशेषकर महिलाओं को रेडी टू यूज टेस्ट किट के साधारण उपयोग के जरिए जल आपूर्ति की गुणवत्ता की जांच करने हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है;
- पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा निधियों की जांच के लिए सभी वित्तीय लेनदेन के वास्ते सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था का उपयोग किया जाना अनिवार्य है;
- वास्तविक एवं वित्तीय प्रबंधन की निगरानी के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने एकीकृत प्रबंधन

> “प्रत्येक गांव में 5 व्यक्तियों विशेषकर महिलाओं को रेडी टू यूज टेस्ट किट के साधारण उपयोग के जरिए जल आपूर्ति की गुणवत्ता की जांच करने हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है।”

> "पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा निधियों की जांच के लिए सभी वित्तीय लेन-देन के वास्ते सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था का उपयोग किया जाना अनिवार्य है।"

सूचना प्रणाली (आई.एम.आई.एस.) स्थापित की है और उसे डैशबोर्ड के साथ जोड़ा गया है;

- जेजेएम के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न स्रोतों से अंशदान/ डोनेशन जुटाने तथा प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय जल जीवन कोष (आर.जे.जे.के.) की स्थापना की गई है;

प्रगति

- 2019-20 में 10,000.66 करोड़ रुपए प्रदान किए गए थे और 2020-21 के दौरान 23,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- 2019-20 में 84.84 लाख परिवारों को नल कनेक्शन मुहैया कराया गया और अब प्रतिदिन एक लाख परिवारों को नल कनेक्शन मुहैया कराया जा रहा है;
- 2019-20 में आर्सेनिक दूषित क्षेत्रों में 71 लाख लोगों और फ्लोराइड दूषित क्षेत्रों में 5.35 लाख लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया गया;
- दिनांक 23 तथा 24 नवंबर, 2019 को राज्यपाल के 50वें सम्मेलन के दौरान जल जीवन मिशन के संबंध में एक सत्र का आयोजन किया गया;
- दिसम्बर, 2019 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जल जीवन मिशन के लिए विस्तृत कार्य संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए।
- जल जीवन मिशन की झांकी को भारत के गणतंत्र दिवस परेड-2020 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- भविष्य के दृष्टिकोण से, राज्यों को जल की आपूर्ति, मात्रा और गुणवत्ता की नियमित निगरानी के लिए 'सेंसर आधारित आई.टी. समाधान' में आगे रखा है। इससे जल आपूर्ति उपयोगिता के निर्णय लेने और कार्य निष्पादन को बढ़ावा मिलेगा;

पेयजल गुणवत्ता पर राष्ट्रीय सम्मेलन - 7 फरवरी 2020 को आयोजित

जल जीवन मिशन के तहत दिए गए कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन

> “2019-20 में 84.84 लाख परिवारों को नल कनेक्शन मुहैया कराया गया और अब प्रतिदिन एक लाख परिवारों को नल कनेक्शन मुहैया कराया जा रहा है।”

जल जीवन मिशन के तहत सामुदायिक बैठक

जे.जे.एम. के तहत अरुणाचल प्रदेश में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन

> "ग्राम पंचायत और/ अथवा उनकी उप समिति अर्थात् ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (वी.डब्ल्यू.एस.सी.)/ जल समिति अथवा उपयोगकर्ता समूह द्वारा उनकी अपनी जल आपूर्ति व्यवस्था संबंधी योजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन तथा रखरखाव किया जाना।"

गुजरात के जूनागढ़ में प्रशिक्षण कार्यशाला

पुडुचेरी में जल जीवन मिशन के लिए ग्राम सभा की बैठक

अलुवागुडा, कालाहांडी, ओडिशा में जल जीवन मिशन का काम

जल शक्ति कार्यक्रम

जल शक्ति अभियान

जून, 2019 को प्रधानमंत्री जी ने अपने 'मन की बात' के संबोधन के दौरान देश के लोगों को जल संरक्षण के लिए एक साथ आने और इसे एक जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया, जिसके परिणामस्वरूप जुलाई 2019 में जल शक्ति अभियान शुरू किया गया।

> "जल शक्ति अभियान पूरे देश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु नागरिक सहभागिता से तैयार किया गया एक गहन समयबद्ध मिशन मोड जल संरक्षण अभियान है ...जल संरक्षण के प्रति यह आंदोलन मात्र सरकारी कार्यक्रम नहीं हो सकता है, इसे जमीनी स्तर पर शुरू किया जाना चाहिए....."
>
> नरेंद्र मोदी
> प्रधानमंत्री

"जल शक्ति मंत्री की अगुवाई में भारत सरकार के अधिकारियों, भूमिगत जल विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने ... जल संरक्षण एवं जल संसाधन प्रबंधन के लिए भारत के बेहद जल प्रभावित जिलों में राज्य तथा जिला अधिकारियों के साथ मिलकर कार्य किया।"

हस्तक्षेप क्षेत्र

जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन।

पारंपरिक और अन्य जल निकायों/ टैंकों का नवीकरण।

पुन: उपयोग और पुनर्भरण संरचनाओं।

वाटर शेड विकास।

प्रोत्साहन वनीकरण

- जल स्तर की समस्या के समाधान और जल संरक्षण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश के नागरिकों को शामिल करते हुए एक व्यापक अभियान के रूप में 2019 में जल शक्ति अभियान शुरू किया गया था;

जल शक्ति अभियान- श्री आमिर खान का संबोधन, 2 अगस्त, 2019

जल शक्ति अभियान - श्री सद्गुरु के साथ जल शक्ति मंत्री, विज्ञान भवन में 28 जनवरी, 2020

> "इन जल संरक्षण प्रयासों ने ब्लॉक एवं जिला जल संरक्षण योजना के विकास सहित विशेष मध्यस्थताओं को भी पूरक बनाया और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यमों से सिंचाई एवं फसलों के बेहतर विकल्प के लिए प्रभावी जल उपयोग को भी बढ़ावा दिया है।"

- जल शक्ति अभियान दो चरणों में शुरू किया गया था:
  - चरण 1 सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 01 जुलाई से 30 सितम्बर तक शुरू किया गया था; और
  - चरण 2 उन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों, जिनमें मानसून बाद में पहुंचता है (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुद्दुचेरी तथा तमिलनाडु) के लिए 01 अक्तूबर से 30 नवम्बर तक शुरू किया गया था;
- इस अभियान में 256 जिलों, जिसमें से 23 जिले आकांक्षी जिले हैं, में 1,592 जल प्रभावग्रस्त ब्लॉकों में जिला प्रशासन के साथ केंद्रीय सरकारी अधिकारियों की टीम की भागीदारी रही है;

तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले में जल शक्ति अभियान के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए मानव श्रृंखला

> “एक राष्ट्र स्तरीय जे.एस.ए. मॉनीटरिंग डैश बोर्ड तैयार किया गया था जिसमें प्रमुख जे.एस.ए. मध्यस्थताओं और संचार गतिविधियों के लिए राज्यों की प्रगति को दर्शाया गया है।”

- जल शक्ति मंत्री की अगुवाई में भारत सरकार के अधिकारियों, भूमिगत जल विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित 5 मध्यस्थताओं के कार्यान्वयन को गति प्रदान करने पर फोकस करते हुए जल संरक्षण एवं जल संसाधन प्रबंधन के लिए भारत के बेहद जल प्रभावित जिलों में राज्य तथा जिला अधिकारियों के साथ मिलकर कार्य किया:-
  - I.) जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन;
  - II.) परंपरागत एवं अन्य जल निकायों/ टैंकों का नवीकरण;
  - III.) बोरवैल ढांचों का पुन: उपयोग एवं पुनर्भरण
  - IV. वाटरशेड का विकास; और
  - V. व्यापक वृक्षारोपण।
- इन जल संरक्षण प्रयासों ने ब्लॉक एवं जिला जल संरक्षण योजना के विकास सहित विशेष मध्यस्थताओं को भी पूरक बनाया और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यमों से सिंचाई एवं फसलों के बेहतर विकल्प के लिए प्रभावी जल उपयोग को भी बढ़ावा दिया है;
- एक राष्ट्र स्तरीय जे.एस.ए. मॉनीटरिंग डैशबोर्ड तैयार किया गया था जिसमें प्रमुख जे.एस.ए. मध्यस्थताओं और संचार गतिविधियों के लिए राज्यों की प्रगति को दर्शाया गया है;
- मॉनीटरिंग के एक भाग के रूप में मध्यस्थता पूर्व एवं बाद मॉनीटरिंग के लिए निम्नलिखित चार मानकों की पहचान की गई थी:

राजस्थान के जालोर में समुदाय के नेतत्व में कदम अच्छी तरह से कायाकल्प

चौराहा जी.पी., लातेहार, झारखंड समुदाय ने बनाया चेक डैम

i.) भू-जल स्तर की फुट/ मीटर में वृद्धि;

ii.) सतही जल भंड़ारण क्षमता में क्यूबिक मीटर में वृद्धि;

iii.) कृषि भूमि में मृदा मिश्रण की % में वृद्धि (अर्थात् जल की मात्रा का प्रतिशत मृदा के क्यूबिक मीटर में); और

iv.) पौधरोपण में कवर किए गए क्षेत्रों और वृक्षारोपण क्रियाकलाप के अंतर्गत लगाए गए पौध की संख्या में हैक्टेयर में वृद्धि।

- जल शक्ति अभियान एक बड़े पैमाने के अभियान के रूप में साबित हुआ है जिसमें अलग-अलग समूहों के लोगों को बड़ी संख्या में शामिल किया गया जिसमें अन्यों के साथ-साथ विद्यालय एवं महाविद्यालयों के छात्रों, स्वच्छाग्रहियों, स्वयं सहायता समूहों, पंचायती राज संस्था के सदस्यों, युवा समूह (एन.एस.एस./ एन.वाई.के.एस./ एन.सी.सी.), रक्षा कार्मिकों, भूतपूर्व सैनिकों और पेंशनभोगियों को शामिल किया गया।

“जल शक्ति अभियान एक बड़े पैमाने के अभियान के रूप में साबित हुआ है जिसमें अलग-अलग समूहों के लोगों को बड़ी संख्या में शामिल किया गया।”

जल शक्ति कार्यक्रम

स्वच्छ भारत मिशन

प्रधानमंत्री मोदी को स्वच्छ भारत अभियान के लिए वैश्विक गोलकीपर पुरस्कार, 25 सितंबर, 2019

> "..क्या हमने कभी दर्द महसूस किया, यह जानते हुए भी कि आज भी हमारी माताओं और बहनों को खुले में शौच का सहारा लेना पड़ता है? क्या महिलाओं की गरिमा हमारी सामूहिक राष्ट्रीय जिम्मेदारी नहीं है? इसलिए, मैं 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ करूंगा और चार साल के भीतर हम इस मिशन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जो मैं आज शुरू करना चाहता हूं, उसमें यह महत्वपूर्ण है - कि देश के सभी विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें लड़कियों के लिए अलग शौचालय होना चाहिए.."

प्रधानमंत्री का स्वतंत्रता दिवस पर संबोधन, 2019

- स्वच्छ भारत मिशन, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता और व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम है ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है जब भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने स्वयं को खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) घोषित किया है;
- भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2019 को अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट में आयोजित एक भव्य समारोह में महात्मा गांधी को स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत समर्पित किया;
- 20,000 से अधिक स्वच्छाग्रही, ग्राम प्रधानों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी राज्य सचिव, मिशन निदेशक, राज्य समन्वयक, मीडिया कर्मियों, विकास भागीदार आदि शामिल हुए;
- एस.बी.एम.-जी. ने जो सफलता हासिल की है, वह विश्व में कहीं भी अन्य स्वच्छता कार्यक्रम ने हासिल नहीं की है। भारत ने 2014 में 40% से कम स्वच्छता कवरेज से केवल पांच वर्षों में विश्वव्यापी स्वच्छता कवरेज प्राप्त कर ली है;
- 10.5 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया और 60 करोड़ से अधिक लोगों ने खुले में शौच के अपने व्यवहार को परिवर्तित किया है। 6 लाख से अधिक गांवों ने स्वयं को ओ.डी.एफ. घोषित किया;
- बिल और मेलिंडा गेट्स ने 24 सितंबर, 2019 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में स्वच्छता पर उनकी प्राथमिकता और नेतृत्व को पहचानते हुए, न्यूयॉर्क में एक समारोह में प्रतिष्ठित ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार से सम्मानित किया, जो स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से सतत विकास लक्ष्य 6 के लिए वैश्विक प्रगति की दिशा में प्रत्यक्ष योगदान देता है। भारत ने वैश्विक रूप से खुले में शौच के बोझ को कम करने के लिए 50% से अधिक का योगदान दिया है।

भारत के माननीय राष्ट्रपति को एस.बी.एम.-जी व्यवहार परिवर्तन संचार पुस्तिका की प्रस्तुति करते हुए, स्वच्छ महोत्सव - 2019

> "..हमारी सफलता से दुनिया अचंभित है। आज पूरी दुनिया हमारी सराहना कर रही है और हमें सम्मान दे रही है। लेकिन मुझे किसी भी आंकड़े, किसी भी प्रशंसा या किसी भी सम्मान से अधिक संतुष्टि तब मिलती है, जब मैं लड़कियों को बिना किसी चिंता के स्कूल जाता देखता हूं। मुझे संतोष है कि करोड़ों माताएँ और बहनें अब अंधेरे की प्रतीक्षा करने के असहनीय दर्द से मुक्त हैं ..."

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती - 2 अक्टूबर, 2019 के अवसर पर प्रधानमंत्री के राष्ट्र को किए गए संबोधन का उद्धरण

Swachhata Hi Seva
11th September to 2nd October 2019

स्वच्छ महोत्सव में जल शक्ति मंत्री के साथ भारत के माननीय राष्ट्रपति, 6 सितंबर, 2019

> दस-वर्षीय कार्यनीति में मिशन की भावी रूपरेखा तैयार की गई है जिसमें उपयोग को बढ़ावा देने, इंटरवेंशनों की स्थिरता सुनिश्चित करने और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कार्यनीति शामिल है।

ओ.डी.एफ. से ओ.डी.एफ. प्लस: स्वच्छ भारत मिशन चरण 2

- (एस.बी.एम. (जी.) चरण - I के प्रमुख उद्देश्य को प्राप्त करते हुए भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई और स्वच्छता की स्थिति को और आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत किया। भारत में स्वच्छता के भावी मार्ग की रूपरेखा तैयार करने के लिए, डी.डी.डब्ल्यू.एस. ने दस वर्षीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यनीति 2019-2029 तैयार की है जिसे 27 सितंबर, 2019 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा प्रारंभ किया गया था;
- दस-वर्षीय कार्यनीति में मिशन की भावी रूपरेखा तैयार की गई है जिसमें उपयोग को बढ़ावा देने, इंटरवेंशनों की स्थिरता सुनिश्चित करने और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कार्यनीति शामिल है। इसे एस.बी.एम. चरण 2 की परिकल्पना का आधार बनाया गया है।

1000 से अधिक छात्रों ने ली स्वच्छता की शपथ, 1 सितंबर, 2019, पखवाड़ा काल

स्कूली बच्चों के साथ सचिव डी.डी.डब्ल्यू.एस.

स्वच्छता रैली में एन.सी.सी. कैडेट्स

स्वच्छ भारत मिशन चरण 2

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण - II का प्रारंभ दिनांक 19.02.2020 को किया गया जिसमें खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) व्यवहार को बनाए रखने और भारत के सभी गांवों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एस.एल.डब्ल्यू.एम.) यानी ओ.डी.एफ. से ओ.डी.एफ.-प्लस की ओर आगे बढ़ने पर फोकस किया गया है;
- मिशन यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करेगा कि कोई भी व्यक्ति शौचालय की सुविधा से वंचित न रहे, और निरंतर शौचालय का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए व्यवहार परिवर्तन गतिविधियों को बढ़ावा देना जारी रखेगा। एस.एल.डब्ल्यू.एम. के संबंध में यह मिशन चार प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा:
  - i.) बायो-डिग्रेडेबल ठोस कचरा प्रबंधन;
  - ii.) प्लास्टिक कचरा प्रबंधन;
  - iii.) गंदला जल प्रबंधन; और
  - iv.) मलीय कचरा प्रबंधन.
- एस.बी.एम. (जी.) चरण - II को 1,40,881 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 2020-21 से 2024-25 तक मिशन मोड में कार्यान्वित किया जा रहा है;
- वित्त पोषण और केंद्र तथा राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के अलग-अलग कार्यक्षेत्रों के बीच तालमेल का एक अनोखा मॉडल होगा। इस विभाग से बजटीय आवंटन के अलावा, स्थानीय उद्यमिता सहित, विशेष रूप से एस.एल.डब्ल्यू.एम. के लिए शेष धनराशि 15वें वित्त आयोग, मनरेगा और राजस्व सृजन मॉडल के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कचरा पृथक्करण कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान, 11 सितंबर, 2019, मथुरा, उत्तर प्रदेश

जल शक्ति कार्यक्रम

नमामि गंगे

गंगा भारत की सामूहिक चेतना का हिस्सा रही है और इसे न केवल भारत में बल्कि विश्व में सबसे पूजनीय नदी माना जा सकता है। यह न केवल लोगों के विश्वास का केंद्र है, बल्कि उनकी आजीविका के स्रोत और अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और आजीविका के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। गंगा के बिना भारत की कल्पना करना मुश्किल है। भारत की पहचान और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण था कि नदी की स्वच्छता और प्राचीन गौरव की पुनर्बहाली की जाए। नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन है, जिसका विजन अविरलधारा और निर्मल धारा को सुनिश्चित करके गंगा नदी की पूर्णता को पुर्नबहाल करना और नदी की भू-जल विज्ञान और पारिस्थितिक अखंडता को बनाए रखना है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत, 28,966 करोड़ रुपए की कुल लागत से अब तक 313 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

इस व्यापक मिशन की अनेक मध्यस्थताओं को मोटे तौर पर प्रदूषण उन्मूलन, पारिस्थितिक पुनर्बहाली और प्रवाह सुधार; मानव-नदी जुड़ाव जिनमें गंगा ज्ञान केंद्र को विकसित करने के लिए सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं और अनुसंधान, नवीनतम प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक मानचित्रण, आदि से संबंधित गतिविधियों के एक व्यापक समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एन.एम.सी.जी.) ने

एक नजर में.....

अब तक कुल 313 परियोजनाएं मंजूर - कुल लागत 28,996 करोड़ रुपये।

122 परियोजनाओं का कार्य पूरा किया गया है और शेष का निष्पादन किया जा रहा है।

पिछले एक वर्ष के दौरान 21 नई परियोजनाएं स्वीकृत।

पिछले एक वर्ष के दौरान 34 परियोजनाएं पूरी हुईं।

विभिन्न क्षेत्रों नामत: जल अपशिष्ट प्रबंधन, ठोस कचरा प्रबंधन, औद्योगिक प्रदूषण, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, जैव विविधता संरक्षण, वनीकरण, नदी प्रबंधन योजना और वेटलैंड प्रबंधन के माध्यम से गंगा से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित किया है। दिनांक 14 दिसंबर, 2019 को कानपुर, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक के दौरान, माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने जोर देकर कहा कि नमामि गंगे को और आगे बढ़ाना चाहिए तथा गंगा संरक्षण के मिशन के बेसिन प्रबंधन में लोगों को एकजुट करने के लिए एक स्थायी और व्यवहार्य आर्थिक विकास मॉडल "अर्थ गंगा" में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी 14.12.2019 को कानपुर, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं।

> "पिछले 5 - 6 वर्षों के दौरान गंगा नदी के जल में अभूतपूर्व सुधार के लिए सार्वजनिक भागीदारी काफी हद तक जिम्मेदार है। मां गंगा के प्रति लोगों की आस्था और जिम्मेदारी का भाव आज अभूतपूर्व स्तर पर है। पिछले साल कुंभ के अवसर पर, भक्तों ने गंगा नदी की स्वच्छता पर संतोष व्यक्त किया। देश और विदेश में यह सराहना की भावना नदी को साफ रखने में जनता के योगदान से संभव हो पायी है।"
>
> नरेंद्र मोदी
> प्रधानमंत्री

गंगा डॉल्फिन

प्रदूषण उन्मूलन (निर्मल गंगा)

- 14 परियोजनाओं को पूरा करते हुए 176 एम.एल.डी. की अतिरिक्त सीवेज उपचार क्षमता का निर्माण किया गया;
- क्षमता उपयोग में सुधार करके गंगा में 250 एम.एल.डी. अनुपचारित सीवेज डिस्चार्ज को रोका गया;
- उत्तराखंड में प्रमुख सीवरेज परियोजनाएं पूरी कर ली गई। हरिद्वार, ऋषिकेश और मुनि-की-रीति अब वर्ष 2035 तक पर्याप्त एसटीपी क्षमतायुक्त हो चुके हैं;
- हरिद्वार में पी.पी.पी. के अभिनव एच.ए.एम. मॉडल पर पहला एस.टी.पी. को पूरा कर लिया गया है;
- शहर के बीचो बीच में प्रयागराज सीवरेज नेटवर्क परियोजना पूरी कर ली गई है;
- कानपुर में 100 साल से अधिक पुराना सीसामऊ नाला (140 एम.एल.डी.) पूर्णत दोहन किया गया है और कानपुर में अन्य सीवरेज परियोजना चालू की गई हैं;
- चमड़े के कारखानों की वजह से लंबे समय से चल रही प्रदूषण की लंबी चुनौतियों को हल करने के लिए कानपुर में सी.ई.टी.पी. का निर्माण प्रारंभ किया गया; और
- बिठूर, अयोध्या, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, श्रीनगर और साहिबगंज में सीवरेज परियोजनाएँ पूरी कर ली गई है।

“भारत अपनी नदियों की सफाई में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। गंगा, जो भारत की जीवन रेखा है, कई भागों में प्रदूषित हो गई है। नमामि गंगे पारम्परिक मिथ्या से बदल रही है।”

नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

जल गुणवत्ता में सुधार

- पूरी गंगा में विघटित ऑक्सीजन (डी.ओ.) में सुधार हुआ है और इन मानको को पूरा करती है।
- 42 स्थानों पर बी.ओ.डी. के स्तर में सुधार हुआ।

नई दिल्ली में ग्रेट गंगा रन

परिस्थितिकी और प्रवाह (अविरल गंगा)

- संशोधित पर्यावरणीय प्रवाह अधिसूचना के माध्यम से 15 दिसंबर 2019 से न्यूनतम प्रवाह को अनिवार्य बनाने का प्रारंभिक कार्यान्वयन।
- उत्तर प्रदेश में गंगा के 10 किलोमीटर के भीतर 226 वेटलैंड्स के लिए वेटलैंड संरक्षण परियोजना, उत्तर प्रदेश में 6 नए आर.एएम.एसए.आर. (रामसार) कार्यस्थल अधिसूचित किए गए है। शहरी वेटलैंड की संरक्षा और संरक्षण के लिए विशेष टूलकिट तैयार किया गया।
- मत्स्य संरक्षण की पहल: 2019-20 में ताजे जल वाले मत्स्य पालन 579.27 टन (2018-19) से दोगुना से अधिक 1,170.75 टन हो गया (सी.आई.एफ.आरई., बैरकपुर)।
- गंगा नदी का जैव विविधता बेसलाइन सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है जिसमें जलीय जीवों को देखने में वृद्धि हुई है, सामुदायिक संपर्क (गंगा प्रहरी) मजबूत हुआ है।
- गंगा के किनारे औषधीय पौधारोपण, वनीकरण।
- जिला गंगा समिति के माध्यम से लघु नदी संरक्षण।
- उत्तराखंड (78,700 हेक्टेयर) और उत्तर प्रदेश (45,780 हेक्टेयर) गंगा नदी के किनारे के साथ जैविक खेती।

मानव-नदी जुड़ाव (जनगंगा)

- कई माध्यमों से गंगा विचार मंच, गंगा प्रहरी, भूतपूर्व सैनिक, एन.वाई.के.एस. - गंगा दूत, एन.सी.सी., एन.एस.एस. आदि समुदाय के साथ सक्रिय जुड़ाव।
- **गंगा आमंत्रण अभियान** साहसिक खेलों के माध्यम से (देवप्रयाग से गंगा सागर तक राफ्टिंग, 35 दिन, 2,500 किमी) सबसे बड़ा सामाजिक आउटरीच कार्यक्रम।
- **गंगा क्वेस्ट 2020** लॉकडाउन के दौरान रचनात्मक जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए स्कूल/ कॉलेज के छात्रों और अन्य लोगों के लिए गंगा से संबंधित अभिनव ऑनलाइन क्विज का आयोजन किया गया। इसमें 11.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।
- **ग्रेट गंगा रन** इसमें लगभग 20,000 लोगों की उत्साहजनक भागीदारी रही।
- **गंगा उत्सव** रिवर सिनेमा, क्विज़, कथा कहानी, पारिस्थितिकी संबंधी शिक्षात्मक खेल आदि के माध्यम से छात्रों और युवाओं की भागीदारी वाले कई गतिविधि कार्यक्रम चलाए गए।
- 24 घाट और 09 शवदाह गृह (कुल 138 घाट और 38 शमशान) का निर्माण कार्य पूरा किया गया।
- नदी के तट पर नियमित नमामि गंगे सफाई उत्सव।
- कोविड-19 प्रबंधन के एक हिस्से के रूप में, गंगा विचार मंच, गंगा प्रहरी और एन.वाई.के. संगठन जैसे एन.एम.सी.जी. के हितधारकों को शामिल करना। गंगा मित्र ने गंगा बेसिन में जनता के बीच जागरूकता पैदा की।

नमामि गंगे पैविलियन में स्वीडन के महामहिम राजा कार्ल XVI गुस्ताफ

गंगा सफाई अभियान के हिस्से के रूप में राफ्टिंग

नीति, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी (ज्ञान गंगा)

- उच्च रिसोल्यूशन डी.ई.एम. के लिए गंगा के दोनों किनारों पर 10 किलोमीटर तक एल.आई.डी.ए.आर. मैपिंग शुरू की गई;
- रिवर सिटी योजना के लिए नए प्रतिमान के विकास हेड विशेष परियोजना शुरू की गई;
- कौशांबी से कानपुर तक एक पैलियो - चैनल के हेली सर्वेक्षण के जरिए **एक्विफर मैपिंग** की गई;
- इंटैक के माध्यम से प्राकृतिक, निर्मित और अमूर्त विरासत के लिए गंगा का संपूर्ण रूप में सांस्कृतिक मानचित्रण किया गया;
- भारत-यूरोपीय संघ की जल साझेदारी और रिवर बेसिन प्रबंधन के लिए जर्मन सहयोग, ई-प्रवाह मूल्यांकन किया गया और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग के लिए कार्य नीति तैयार की गई; और
- स्वीडन के महामहिम राजा कार्ल XVI गुस्ताफ ने विश्व जल सप्ताह, स्टॉकहोम, स्वीडन में नमामि गंगे पवेलियन का दौरा किया और हरिद्वार में नमामि गंगे परियोजनाओं का दौरा करने के बाद इस मिशन की व्यापक स्वरूप और कार्य गति की सराहना की।

गंगा आरती में भारत के माननीय राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भाग लिया

गंगा अभियान में राज्यमंत्री के साथ गृहमंत्री और जल शक्ति मंत्री

दक्षिणेश्वर काली मंदिर, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल

वाराणसी घाट

लक्ष्मणझूला, ऋषिकेश

मां गंगा की गोद में उत्तरकाशी

पटना रिवर फ्रंट में योग

गंगा नदी पवित्र

संगम, प्रयागराज

चंडी घाट, हरिद्वार से गंगा सागर में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट;
मिर्जापुर में स्वागत और बातचीत

हर की पौड़ी हरिद्वार

गंगा आमन अभियान (देवप्रयाग से गंगा सागर); मिर्जापुर में स्वागत और बातचीत

100 साल से अधिक पुराना 140 एम.एल.डी. सीसामऊ नाला- सबसे बड़ा स्रोत
कानपुर में गंगा में सीवेज का विसर्जन सफलता पूर्वक और
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए डायवर्ट किया गया (एन.जी.सी. की बैठक के बाद प्रधानमंत्री का दौरा)

पृष्ठभूमि

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पी.एम.के.एस.वाई.-ए.आई.बी.पी.)

"..किसानों के पास जमीन है, अगर उन्हें जल मिले तो वे चमत्कार कर सकते हैं। यह इस देश के किसानों की ताकत है और इसलिए हमने जल प्रबंधन, सिंचाई और जल संरक्षण पर जोर दिया है। जल की एक-एक बूंद का उपयोग कैसे करें, जल की उपयोगिता को कैसे बढ़ाया जाए, प्रति बूंद-अधिक फसल, लघु-सिंचाई - हम इस पर जोर दे रहे हैं। 90 से अधिक सिंचाई योजनाएं अधूरी पड़ी थीं। हमने पहले इन परियोजनाओं को पूरा करने का संकल्प लिया है और इससे लाखों लोग लाभान्वित होंगे.."

नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

माननीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 2016 में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि:

पी.एम.के.एस.वाई.-ए.आई.बी.पी.

- वर्ष 1996-97 में इसकी शुरूआत के बाद से, भारत सरकार के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के तहत वित्त पोषण के लिए 297 सिंचाई/ बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं को शामिल किया गया है। इनमें से, 143 परियोजनाओं को पूरा किया गया और दिनांक 31.03.2015 को 5 परियोजनाओं को बंद किया गया।
- परियोजनाओं के अधूरे रहने का एक बड़ा कारण केंद्र और राज्य के अंश निधियों का अपर्याप्त प्रावधान था। परिणामस्वरूप, इन परियोजनाओं पर बड़ी राशि खर्च की गई, इन्हें बंद किया गया और इन परियोजनाओं के निर्माण के समय परिकल्पित लाभों को प्राप्त नहीं किया जा सका। यह चिंता का कारण था और इस स्थिति को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहल करने की आवश्यकता थी।
- वर्ष 2015-16 के दौरान देश के सभी कृषि फार्मों के लिए सुरक्षात्मक सिंचाई के कुछ साधनों तक पहुँच सुनिश्चित करने और प्रति बूंद अधिक फसल उत्पादन करने के लिए एक व्यापक दृष्टि कोण रखते हुए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) की समूह योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादन और उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि करना है, जिससे कृषि आय में वृद्धि होगी।
- पी.एम.के.एस.वाई. के चार घटक थे।
  - (i) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा कार्यान्वयन]
  - (ii) हर खेत को जल (एच.के.के.पी.) (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा कार्यान्वयन];
  - (iii) प्रति बूंद अधिक फसल (कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वयन]; और
  - (iv) वाटरशेड विकास (भूमि संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वयन]।
- जुलाई, 2016 में भारत सरकार ने अपने कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट (सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.) सहित लंबे समय से लंबित 99 ए.आई.बी.पी. परियोजनाओं (और 7 चरणों) को पी.एम.के.एस.वाई. के तहत मिशन मोड में कार्य पूरा करने की मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से 34.64 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होगी।

सिंचित खेत

> केंद्रीय जल आयोग की क्षेत्र इकाइयों के माध्यम से वास्तविक तथा वित्तीय दृष्टि से परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी की जाती है। पी.एम.यू.-पी.एम.के.एस.वाई. के माध्यम से तीसरे पक्ष की निगरानी भी की जा रही है।

योजना के तहत नवाचार/ पहल

- नाबार्ड के माध्यम से केंद्रीय हिस्सेदारी/ सहायता (सी.ए.) के लिए निधियों की व्यवस्था वर्ष-वार आवश्यकताओं के रूप में की गई है, जिसका 15 वर्षों में वापस भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य सरकारें आवश्यकता पड़ने पर राज्य के हिस्से के लिए नाबार्ड से निधि उधार भी ले सकती हैं।
- राज्य के हिस्से के संबंध में, केंद्र सरकार द्वारा ब्याज सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे कि राज्य के हिस्से के लिए समग्र ब्याज दर लगभग 6% हो जाए, ताकि राज्यों के लिए इसे आकर्षक बनाया जा सके और परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए उन्हें अपेक्षित राज्य हिस्सा जुटाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके।
- केंद्रीय जल आयोग की क्षेत्र इकाइयों के माध्यम से वास्तविक तथा वित्तीय दृष्टि से परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी की जाती है। पी.एम.यू.-पी.एम.के.एस.वाई. के माध्यम से तीसरे पक्ष की निगरानी भी की जा रही है।
- इन परियोजनाओं की निगरानी के लिए ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) विकसित की गई है। इन प्राथमिकता वाली 99 परियोजनाओं में से, प्रत्येक के लिए एक नोडल अधिकारी की पहचान की गई है जो एम.आई.एस. में नियमित रूप से परियोजना की वास्तविक और वित्तीय प्रगति को अद्यतित करते हैं।
- परियोजना घटकों की जी.यो.-टैगिंग के लिए जी.आई.एस. आधारित अनुप्रयोग विकसित किया गया है। परियोजनाओं के नहर नेटवर्क के डिजिटलीकरण के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग किया गया है। इसके अलावा, प्राथमिकता वाली 99 परियोजनाओं के अंतर्गत वाले फसलीय क्षेत्र का अनुमान रिमोट सेंसिंग के माध्यम से प्रतिवर्ष किया जाता है।
- भूमि अधिग्रहण (एल.ए.) के मुद्दे को हल करने और जल की संवाहक दक्षता बढ़ाने के लिए, भूमिगत पाइपलाइन (यू.जी.पी.एल.) के उपयोग को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया गया है। इस मंत्रालय द्वारा जुलाई, 2019 में पाइप के जरिए सिंचाई नेटवर्क की योजना और डिजाइन के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे। यू.जी.पी.एल. ओडिशा और महाराष्ट्र राज्यों द्वारा क्रमश: 6,200 हेक्टेयर और 4,920 हेक्टेयर के लिए दूर किया गया है। इससे लागत में लगभग 1,500 करोड़ रुपए की बचत हुई।
- इन परियोजनाओं के अधिकार क्षेत्र के विकास कार्यों के एक ही समय में कार्यान्वयन में सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है कि सृजित सिंचाई क्षमता का किसानों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। भागीदारी सिंचाई प्रबंधन (पी.आई.एम.) पर ध्यान केंद्रित करने वाले नए दिशानिर्देश लाए गए हैं। इसके अलावा, जल उपयोगकर्ता संघ (डब्ल्यू.यू.ए.) को सिंचाई प्रणाली के नियंत्रण और प्रबंधन के हस्तांतरण को सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम. पूरा होने की स्वीकृति के लिए आवश्यक शर्त बनाया गया है।

> वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान, इन परियोजनाओं के माध्यम से 21.33 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।

कार्य की प्रगति/ स्थिति

- 99 परियोजनाओं और 7 चरणों (कुल- 106) में से, अब तक 44 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। शेष परियोजनाओं में से, 24 परियोजनाओं ने 90% से अधिक की वास्तविक प्रगति हासिल कर ली है और पूरा होने के कगार पर हैं।
- वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान, इन परियोजनाओं के माध्यम से 21.33 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।
- इन 99 परियोजनाओं और 7 चरणों (कुल- 106) में से, 59 परियोजनाओं से देश के विभिन्न राज्यों में सूखा प्रभावित क्षेत्रों को लाभ मिलता है। वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान, इन परियोजनाओं के माध्यम से 12.57 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त क्षमता सृजित की गई है।
- पी.एम.के.एस.वाई. की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मार्च 2016 तक प्रति वर्ष 7 ए.आई.बी.पी. परियोजनाओं को पूरा करने की औसत दर की तुलना में पी.एम.के.एस.वाई. के तहत परियोजनाओं के पूरा होने की दर प्रति वर्ष 11 से अधिक परियोजनाओं तक बढ़ गई है। और, मार्च, 2016 से पहले ए.आई.बी.पी. के तहत प्रति वर्ष 4.5 लाख हेक्टर की सिंचाई क्षमता निर्माण (आई.पी.सी.) की औसत दर की तुलना में, पी.एम.के.एस.वाई. के तहत आई.पी.सी. बढ़कर प्रति वर्ष 5.30 लाख हैक्टर हो गई है।

जल शक्ति कार्यक्रम

अटल भूजल योजना

- भूजल ने खाद्य और कृषि उत्पादन बढ़ाने, सुरक्षित पेयजल प्रदान करने और भारत में औद्योगिक विकास को सुविधाजनक बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- सरकार ने देश में भूजल की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक नेतृत्व वाले भूजल प्रबंधन की क्षमता को मान्यता दी है। भूजल के मांग पक्ष प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करके, अटल भूजल योजना भूजल प्रबंधन में एक प्रमुख प्रतिमान है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 25.12.2019 को पंचवर्षीय योजना शुरू की गई जिसका अनुमानित व्यय 6,000 करोड़ रु है को दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से कार्यान्वित किया जा रहा है।
- इस योजना में जल जीवन मिशन के लिए बेहतर स्रोत स्थिरता, किसानों की आय को

> “तीव्रता से गहरे हो रहे जल संकट से लड़ने के लिए, हमारे पास एकजुट होने के अलावा कोई विकल्प नही है।”
>
> श्री अटल बिहारी वायपेयी, तत्कालीन प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री ने अटल भुजल योजना का शुभारंभ किया

शुभारंभ पर जल शक्ति मंत्री, अटल भुजल योजना की

दोगुना करने की सरकार के लक्ष्य में सकारात्मक योगदान और इष्टतम जल उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए समुदाय में व्यवहारगत परिवर्तन लाने की परिकल्पना की गई है।

- इस योजना का कार्यान्वयन सात राज्यों अर्थात् गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 78 जिलों के 8,353 जल संकट ग्रस्त ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है। यह अनूठी योजना देश की जल और खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

इस योजना के दो घटक है:

- संस्थागत सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण घटक: भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन में सक्षम बनाने के लिए राज्यों में मजबूत डेटा बेस, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामुदायिक भागीदारी प्रदान करके संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करना; और
- प्रोत्साहन घटक: केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के बीच तालमेल और भूजल प्रबंधन के उपाय के रूप में परिणामों की उपलब्धि के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना।

- इस योजना के लिए प्रारंभिक गतिविधियां अग्रिम चरण पर हैं। कार्यक्रम दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। राज्यों के साथ हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौता ज्ञापन (एम.ओ.ए.) को साझा किया गया है और इसके लिए राज्यों द्वारा सहमति ली गई है।
- अधिकांश भागीदारी वाले राज्यों में योजना के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत तंत्र मौजूद है और विशेषज्ञों की भागीदारी, कार्यक्रम कार्यान्वयन भागीदारों का चयन आदि जैसी अन्य प्रक्रियाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

जल प्रशासन

एजेंसियां और संस्थाएं

ब्रह्मपुत्र बोर्ड की बैठक

देश के सम्मुख प्रस्तुत चुनौतियों को देखते हुए, जल शक्ति मंत्रालय ने सुव्यवस्थित जल के प्रबंधन के लिए एक सुदृढ़ संस्थागत तंत्र विकसित किया है जो एजेंसियों के साथ नजदीकी तालमेल स्थापित करके समेकित रूप से जल से से संबंधित सभी विषयों की समीक्षा करता है और विशिष्ट कार्य योजना तैयार करता है।

वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत एजेंसियों और संस्थानों में 2 संबंध कार्यालय हैं यथा केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय मृदा तथा सामग्री अनुसंधान केंद्र और इसके 8 अधीनस्थ कार्यालय हैं यथा केंद्रीय भूजल बोर्ड, केंद्रीय जल और एवं विद्युत केंद्र, राष्ट्रीय जल आसूचना केंद्र (एन.डब्लू.आई.सी.), गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, फरक्का बैराज परियोजना, सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, बनसागर नियंत्रण बोर्ड तथा ऊपरी यमुना नदी बोर्ड और 12 पंजीकृत सोसाइटी/ स्वायत्त निकाय, सांविधिक निकाय इत्यादि हैं जैसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी संस्थान, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, पूर्वोत्तर जल एवं भूमि प्रबंधन क्षेत्रीय संस्थान, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, बेतवा नदी बोर्ड, तुंगभद्रा बोर्ड, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड, गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड तथा पोलावरम परियोजना प्राधिकरण और इसके अंतर्गत 2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं यथा डब्ल्यू.ए.पी.सी.ओ.एस. लिमिटेड तथा नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड ।

केंद्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.)

केंद्रीय जल आयोग वर्ष 1945 से देश में स्थापित जल संसाधन के क्षेत्र से जुड़ा प्रमुख तकनीकी संस्थान है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आयोग को सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति और हाइड्रो पावर विकास के उद्देश्य हेतु देशभर में जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण और उपयोग से जुड़ी परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके नई पहलें शुरू करने, उनका समन्वय करने और उनका अनुपालन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्ष 2019-20 की मुख्य उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:-

- 22 भारतीय राज्यों में फैली 85 परियोजनाओं और 9 विदेशी परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को परामर्श उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया।
- जून, 2019 में 5,334 निर्मित बड़े बांधों और 411 निर्माणाधीन बड़े बांधों के ब्यौरे सहित **नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम (एन.आर.एल.डी.)** रिलीज किया गया।
- मौजूदा आई.एस.आर.डब्ल्यू.डी. अधिनियम, 1956 में संशोधन करने हेतु लोकसभा में अंतर **राज्य नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019** पेश किया गया और 31 जुलाई, 2019 को इसे पारित किया गया । (वेबसाइट: www.cwc.gov.in)

केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केंद्र

- केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केंद्र जिओ टेक्निकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग सामग्रियों के क्षेत्रों में विशेष रूप से नदी घाटी परियोजनाओं के निर्माण और मौजूदा बांधों की सुरक्षा के आकलन के लिए के क्षेत्र, प्रयोगशाला जांच और अनुसंधान से जुड़ा देश का प्रमुख संस्थान है। यह अनुसंधान केंद्र विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं के निर्माण के गुणवत्ता नियंत्रण से भी जुड़ा है।
- अनुसंधान केंद्र में मृदा, पत्थर और कंक्रीट नामक तीन मुख्य व्यवस्थाओं से जुड़े अनुसंधान किए जाते हैं। इसके प्रमुख क्षेत्रों में मृदा मेकैनिक्स, रॉकफिल टेक्नोलॉजी, जियोसिंथेटिक्स, मृदा डायनामिक्स, रॉक इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग जियोफिजिक्स , जियोटेक्निकल इंस्ट्रूमेंटेशन, कंक्रीट तकनीक, कंक्रीट डायग्नोस्टिक और न्यूमेरिकल मॉडलिंग शामिल हैं।

(वेबसाइट: www.csmrs.gov.in)

केंद्रीय भूजल बोर्ड (सी.डब्ल्यू.जी.बी.)

- केंद्रीय भूजल बोर्ड को देश के भूजल संसाधनों की आर्थिक और पर्यावरणीय दक्षता और एकरूपता पर आधारित प्रबंधन, शोध, निगरानी, आकलन, वर्धन और विनियमन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सी.जी.डब्ल्यू.बी. द्वारा किए गए विभिन्न अध्ययनों से प्राप्त आंकड़े विभिन्न हितधारकों को जल संसाधन की योजना बनाने में वैज्ञानिक आधार उपलब्ध कराते हैं। भूजल संसाधनों की आयोजना और प्रबंधन के लिए राज्य तथा अन्य उपभोक्ता एजेंसियों को सलाह देने के अलावा केंद्रीय भूजल बोर्ड भारत के भू जल संसाधनों के वैज्ञानिक तथा स्थाई शोध, विकास और प्रबंधन हेतु तकनीकी ज्ञान भी उपलब्ध कराता है।
(वेबसाइट: www.cgwb.gov.in) वर्ष 2019-20 में बोर्ड द्वारा प्राप्त की गई कुछ प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार है:-
- राष्ट्रीय जलदायी स्तर एवं प्रबंधन कार्यक्रम का मानचित्रकरण (एन.ए.क्यू.यू.आई.एम.) - वर्ष 2019-20 के दौरान देश के विभिन्न भागों को कवर करते हुए 2.2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए जलदायी स्तर मापन एवं प्रबंधन योजना तैयार की गई। अब तक एन.ए.क्यू.यू.आई.एम. कार्यक्रम के अंतर्गत पहचाने गए कुल 24.8 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में से 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र का नक्शा बना लिया गया है।
- जलदायी स्तर का पुनरूत्थान और जल संरक्षण- महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के आकांक्षी जिलों में जलदायी स्तर का पुनरूत्थान के लिए नवाचारी कृत्रिम पुनर्भरण तकनीक को अपनाया गया है। वर्षा जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण के लिए कई राज्यों में मनरेगा के साथ तालमेल करके संरक्षण और पुनर्भरण कार्य भी किए गए हैं।
- एन.ए.क्यू.यू.आई.एम. पर 399 सार्वजनिक अंतर संवाद कार्यक्रम (पी.आई.पी.) आयोजित किए गए, 183 वर्षा जल संरक्षण पर सामूहिक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- भू जल संसाधन - 11 जुलाई, 2019 को "डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ़ इंडिया, 2017" को अनुमोदित किया गया।
- देश में यूरेनियम विश्लेषण - वर्ष 2019 -20 के दौरान सी.जी.डब्ल्यू.बी. द्वारा लगभग 14,000 भूजल नमूने एकत्रित किए गए और उनमें यूरेनियम की मात्रा का आकलन किया गया।
- जल दूतों के लिए संसाधन पुस्तिका- एम.ए.आर.वी.आई. के साथ तालमेल करके केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा "एंपावरिंग विलेज कम्युनिटी फॉर सस्टेनेबल वॉटर फ्यूचर -रिसोर्स बुक फॉर जलदूत" नामक एक प्रशिक्षण संसाधन मैनुअल तैयार किया गया।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना -भूजल के अंतर्गत सिंचाई परियोजना हेतु भूजल सिंचाई घटक के तहत संशोधित दिशा-निर्देश परिचालित किए गए।

केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र

केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र (सी.डब्ल्यू.पी.आर.एस.), पुणे हाइड्रॉलिक्स तथा जल एवं ऊर्जा क्षेत्र सं संबंधित अनुसंधान के क्षेत्र में शीर्षस्थ अनुसंधान और विकास संस्थान है। यह संस्थान "अनुसंधान द्वारा राष्ट्र सेवा" के अपने लक्ष्य को पूरा करते हुए जल संसाधन संरचनाओं, नदी इंजीनियरिंग, हाइड्रो पावर जेनरेशन और पोर्ट एवं जलमार्ग परियोजना की सुरक्षित और आर्थिक रूप से वहनीय आयोजना और डिजाइनिंग के अनुसंधान और विकास की आवश्यकता को पूरा करते हुए 100 से अधिक वर्षों से देश की सेवा कर रहा है। सी.डब्ल्यू.पी.आर.एस. ने बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, सिंगापुर आदि जैसे हमारे पड़ोसी देशों और साथ ही मिडिल ईस्ट के देशों की अनेकों परियोजनाओं में भी अपनी सेवा उपलब्ध कराई है।

(वेबसाइट: www.cwprs.gov.in)

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जी.एफ.सी.सी.) 1972 में स्थापित किया गया था, इसका मुख्यालय पटना में है । आयोग को निम्नलिखित जिम्मेदारी सौंपी गई है - गंगा तट पर नदी प्रणाली के बाढ़ प्रबंधन हेतु व्यापक योजना तैयार करना और उसको अद्यतन करना, बेसिन वार योजना में कार्यों के कार्यान्वयन में कार्यक्रमों के चरण क्रम का निर्धारण शामिल करना, गंगा के तट पर स्थित राज्यों नामत: पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को बाढ़ प्रबंधन पर तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराना।

(वेबसाइट: www.gfcc.bif.nic.in)

सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति

सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति (एस.एस.सी.ए.सी.) को 1980 में भारत सरकार द्वारा नर्मदा जल विवाद अधिकरण (एन.डब्ल्यू.डी.टी.) के निर्देशों के अनुसरण में सरदार सरोवर परियोजना के इकाई 1 (बांध और उससे संबंधित कार्य) और इकाई 3 (हाइड्रो पावर कार्य) के कार्य को प्रभावी एवं आर्थिक रूप से और समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गठित किया गया था।

(वेबसाइट: www. sscar.gov.in)

फरक्का बैराज परियोजना

फरक्का बैराज परियोजना (एफ.बी.पी.) को 1975 में स्थापित किया गया था, इसका उद्देश्य कोलकाता पोर्ट का संरक्षण और रखरखाव तथा भागीरथी-हुगली जलमार्ग के पोत परिवहन मार्ग को बढ़ाना था। फरक्का बैराज परियोजना में पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में फरक्का गंगा तट पर 2,245 मीटर लंबा बैराज, फीडर कैनाल से पानी को डायवर्ट करने के लिए फरक्का में कैनाल का मुख्य रेगुलेटर, 38.38 किलोमीटर लंबे कैनाल और जंगीपुर बैराज फरक्का में गंगा नदी पर सड़क-सह-रेल ब्रिज के अलावा, फरक्का, जंगीपुर और कालिंदी (नूपुर/ मालदा) में नेविगेशन लॉक, फीडर कैनाल पर सड़क-सह-रेल ब्रिज, फरक्का, अहिरॉन और खेजूरियाघाट पर 4,000 घरों सहित एक टाउनशिप शामिल है।

(वेबसाइट: www.fbp.gov.in)

बन सागर नियंत्रण बोर्ड

भारत सरकार, कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय के दिनांक 30 जनवरी, 1976 के संकल्प संख्या 8/ 17/ 74-DW-II के माध्यम से बन सागर नियंत्रण बोर्ड (पी.सी.बी.) का गठन किया गया था और 28 मार्च, 1978 के संकल्प संख्या 8/ 17/ 74-DW-II द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य सरकार द्वारा 16 सितंबर, 1973 को किए गए समझौते के अनुसरण में इस संकल्प को पारित किया गया था जो सोन नदी के जल के बंटवारे और बन सागर बांध की लागत के बंटवारे से संबंधित था।

(वेबसाइट : www.bcb.nic.in)

दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में श्रद्धांजलि अर्पित करते माननीय राष्ट्रपति

माननीय राष्ट्रपति, जलशक्ति मंत्री, राज्य मंत्री जलशक्ति 6वाँ जल सप्ताह उद्घाटन करते हुए- 24 सितम्बर, 2019

ऊपरी यमुना नदी बोर्ड

12 मई, 1994 को हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्रियों द्वारा एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया था जो तटीय राज्यों के बीच ओखला बैराज (ऊपरी यमुना) तक यमुना नदी के सतही प्रवाह के उपयोग के आवंटन से संबंधित था। उक्त समझौता ज्ञापन को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसरण में एक संकल्प द्वारा ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यू.वाई.आर.बी.) गठित किया गया था। वर्ष 2000 में उत्तरांचल राज्य के गठन के बाद इस संकल्प में संशोधन करके उत्तरांचल (अब उत्तराखंड) को बोर्ड में शामिल किया गया था। (वेबसाइट: www.uyrb.gov.in)

डब्ल्यू.ए.पी.सी.ओ.एस. लिमिटेड

डब्ल्यू.ए.पी.सी.ओ.एस., जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत एक मिनी रत्न-I दर्जे वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सी.पी.एस.ई.) है। यह एक वैज्ञानिक और तकनीक आधारित परामर्शदाता तथा ई.पी.सी. संगठन है परियोजना की संकल्पना से उसकी शुरूआत तक परामर्शी सेवा उपलब्ध कराते हैं और यह इसकी सेवाओं में भारत तथा विदेशों में जल संसाधन, विद्युत और संरचनात्मक विकास के सभी पहलुओं पर व्यवहार्य अध्ययन, डिजाइन, इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक तथा तकनीकी आकलन, परियोजना प्रबंधन और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव आकलन उपलब्ध कराना शामिल है।

वर्ष 2019-20 की मुख्य उपलब्धियां :-

- जल संसाधन, विद्युत और अवसंरचना विकास में प्रतिवर्ष लगभग 20,000 करोड रुपए की परियोजनाओं का प्रबंधन करना
- रणनीतिक निवेश, डिविडेंड और कर के रूप में राष्ट्रीय राजकोष में लगभग 1,100 करोड़ रुपए का योगदान
- मिनी रत्न-I का दर्जा प्राप्त हुआ
- परामर्श और इंजीनियरिंग परियोजनाओं का टर्नओवर 115.3 करोड रुपए से बढ़कर 1622.16 करोड हो गया (1306 .90% की वृद्धि) और लाभ 21.59 करोड रुपए से बढ़कर 225.24 करोड रुपए हो गया (943.26 प्रतिशत की वृद्धि)।
- डिविडेंड भुगतान में निरंतर वृद्धि हुई और यह 3.5 करोड रुपए से बढ़कर 50 करोड़ रु. हो गया (1328 .57% की वृद्धि)।
- इसका प्रचलन 8 देशों से बढ़कर 51 देशों तक हो गया। कंपनी ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं शुरू कीं जैसे सरदार सरोवर लघु सिंचाई परियोजना, अफगानिस्तान में अफगान-भारत दोस्ताना बांध, तंजानिया में जलापूर्ति परियोजना और कंबोडिया में स्तुंग टसल बांध परियोजना आदि।
- हाल ही में डब्ल्यू.ए.पी.सी.ओ.एस ने तंजानिया में "ताबोरा, इगूंगा और ज़ेगा शहर में विक्टोरिया झील के पाइप लाइन के विस्तार" के निर्माण कार्य के निरीक्षण संबंधी पी.एम.सी. पूरी कर ली है। तंजानिया सरकार ने सफलता पूर्वक कार्य को पूरा करने पर कंपनी की सराहना की और उत्तम गुणवत्ता के साथ समय पर इस व्यापक जलापूर्ति परियोजना को पूरा करने के लिए कंपनी की 'उत्कृष्ट ' रैंकिंग की।
- डब्ल्यू.ए.पी.सी.ओ.एस. ने जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्यरत भारत सरकार की एक अन्य मिनी रत्न-I सी.पी.एस.ई. कंपनी एन.पी.सी.सी. का अधिग्रहण किया है ताकि एन.पी.सी.सी. का नवीकरण, पुनरुद्धार और कायापलट हो सके।

अनुसंधान एवं विकास

जल संबंधी नवाचार और प्रौद्योगिकी

सरदार सरोवर बांध

> पिछले वर्ष लगभग 9,700 बाढ़ संभावनाओं का पता लगाया गया जिसके कारण राज्य सरकार प्राधिकरणों द्वारा लोगों तथा पशु पक्षियों को समय पर उस स्थान से हटाया जा सका।

बेहतर जल प्रबंधन के लिए आंकड़ा प्रणाली को सुदृढ़ करना और आंकड़ों को साझा करना

जल शक्ति मंत्रालय, जल के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास संबंधी कार्य करता है, उन्हें बढ़ावा देता है तथा उनका वित्तपोषण करता है। यह कार्य भिन्न-भिन्न कार्यक्रमों के लिए विभिन्न विभागों, संबद्ध कार्यालयों, सोसायटियों तथा स्वायत्त निकायों के माध्यम से किया जाता है।

राष्ट्रीय जलदायी स्तर मानचित्रण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (एन.एक्यू.यू.आई.एम.)

सी॰जी॰डब्ल्यू॰बी॰ ने एकक्वीफर मैपिंग और प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए **एन.एक्यू.यू.आई.एम.** अध्ययन करवाया है। जून, 2019 से मई, 2020 के दौरान देश के विभिन्न भागों को कवर करते हुए 2.2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए जलदायी स्तर मानचित्रण और प्रबंधन योजना तैयार की गई हैं। अब तक जलदायी स्तर

> भारत 5,334 बड़े बांधों के प्रचालन और लगभग 411 निर्माणाधीन बड़े बांधों के साथ वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। इसके अतिरिक्त, यहां कई हजार छोटे बांध हैं।

मानचित्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मैपिंग के लिए देश के पहचान किए गए 24.8 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में से 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र का नक्शा बना लिया गया है।

एकक्वीफर नवीकरण और जल संरक्षण

सी.जी.डब्ल्यू.बी. द्वारा जलदायी नवीकरण के लिए नवाचारी परियोजनाएं शुरू की गई है जिसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के आकांक्षी जिलों में नवाचारी कृत्रिम पुनर्भरण तकनीक अपनाई गई है।

भू जल संसाधन आकलन

संबंधित राज्य विभागों के साथ संयुक्त रूप से सभी 6,881 आकलन इकाइयों के भूजल संसाधनों का आकलन किया गया था। 11 जुलाई, 2019 को 'डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ़ इंडिया, 2017' पर राष्ट्रीय संकलन अनुमोदित किया गया था।

राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी परियोजना (एन.एच.पी.)

राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी परियोजना (एन.एच.पी.) जल से संबंधित आंकड़ों को सुदृढ़ करती है और उपभोक्ता एजेंसियों के मध्य आंकड़ों को साझा करने के लिए एक प्रणाली विकसित करती है ताकि जल प्रबंधन में सुधार हो सके। इसे मंत्रिमंडल द्वारा 3,679.76 करोड रुपए के कुल परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना के रूप में अनुमोदित किया गया था। एन.एच.पी. का परियोजना लक्ष्य उसकी उपलब्धता को बेहतर बनाना, उसकी गुणवत्ता में सुधार करन, जल संसाधन से संबंधित सूचना को बढ़ाना, बाढ़ और बेसिन स्तर के संसाधन के आकलन/ आयोजना के लिए निर्धारण सहायक प्रणाली बनाना और जल संसाधन से जुड़े पेशेवरों तथा भारत के प्रबंधन संस्थानों की क्षमताओं का संवर्धन करना है।

राष्ट्रीय जल आसूचना केंद्र, जो राष्ट्रव्यापी जल संसाधन आंकड़ों का संग्रह है, का गठन किया गया है।

हाइड्रोलॉजी आकलन और बाढ़ आने की संभावनाओं को सुदृढ़ बनाना - केंद्रीय जल आयोग

सी.डब्ल्यू.सी. देश के 325 स्टेशनों पर हाइड्रोलॉजी आंकड़ा आकलन और बाढ़ की संभावना का पता लगाने के लिए 1,578 स्टेशनों का संचालन करता है। इन्हें वास्तविक समय के आंकड़ों को उपलब्ध कराने के लिए उन्नत किया जा रहा है।

पिछले वर्ष 160 स्टेशनों पर वास्तविक समय के आंकड़ों की अर्जन (एक्विजिशन) प्रणाली (आर.टी.डी.ए.एस.) संस्थापित की गई है। अब 430 स्टेशनों पर आर.टी.डी.ए.एस. उपलब्ध है।

पिछले वर्ष लगभग 9,700 बाढ़ संभावनाओं का पता लगाया गया जिसके कारण राज्य सरकार प्राधिकरणों द्वारा लोगों तथा पशु पक्षियों को समय पर उस स्थान से हटाया जा सका।

तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (सी.एम.आई.एस.) के अंतर्गत गुजरात और महाराष्ट्र के तटों पर तटीय आंकड़ों के संचयन के लिए दो नए स्टेशन स्थापित किए गए।

बांध सुरक्षा और पुनरूद्धार - बांध पुनरूद्धार और सुधार परियोजना

भारत 5,334 बड़े बांधों के प्रचालन और लगभग 411 निर्माणाधीन बड़े बांधों के साथ वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। इसके अतिरिक्त, यहां कई हजार छोटे बांध हैं। ये बांध देश की जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये परिसंपत्ति प्रबंधन तथा सुरक्षा की दृष्टि से भी बड़ी जिम्मेदारी उठाते हैं। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केंद्रीय जल आयोग के माध्यम से डैम पुनरूद्धार और सुधार परियोजना (डी.आर.आई.पी.) कार्यान्वित करता है, जिसके लिए उसे विश्व बैंक से 2,100 करोड़ रुपए की लागत सहायता प्राप्त है। इसका उद्देश्य चुनिंदा डैमों की सुरक्षा और प्रचालनात्मक निष्पादन में सुधार लाना है। परियोजना में डैम की मरम्मत और रखरखाव शामिल है परंतु साथ ही इसमें डैम की सुरक्षा के लिए सुरक्षा नियमों तथा क्षमता संवर्धन पर भी बल दिया जाता है।

- पिछले 6 वर्षों में इस परियोजना के अंतर्गत 200 डैमों का पुनरूद्धार किया गया है। इनमें से पिछले वर्ष 85 डैमों का कार्य पूरा हो गया है।
- डैम हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन **(धर्मा)** विकसित किया गया है। इस प्रणाली से डैम धारकों को अपने डैम के बेहतर रखरखाव में सहायता मिलती है।
- सभी बांधों की समुचित निगरानी, जांच, प्रचालन एवं रखरखाव के लिए डैम धारकों और राज्य डैम सुरक्षा संगठनों को तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहायता उपलब्ध कराने की क्षमता को सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि डैम सुरक्षित तरीके से काम करें जिससे मानव जीवन, संपत्ति और वातावरण की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

जल जीवन मिशन - राज्य जल परीक्षण प्रयोगशाला, भुवनेश्वर

जल जीवन मिशन- तकनीकी समिति

वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लक्ष्य की व्यापकता और गति को देखते हुए नवाचार उपायों और नए तकनीकों का उपयोग आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पी.एस.ए.) की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति गठित की गई है। पी.एस.ए. की अध्यक्षता में गठित जल संबंधी यह तकनीकी समिति जल जीवन मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों को तकनीकों की पहचान करेंगे और उन्हें अपनाने में सहायता करेगी। 11 दिसंबर, 2019 को नई दिल्ली में इस समिति की पहली बैठक आयोजित की गई।

यह तकनीकी समिति निम्न कार्य करेगी:

i.) विभाग/ राष्ट्रीय मिशन पोर्टल के माध्यम से पेयजल, स्वच्छता, गंदे जल के प्रबंधन और ठोस कचरा प्रबंधन के क्षेत्र से जुड़ी नवीन प्रौद्योगिकियों को आमंत्रित करना।

ii.) तकनीकों का टेक्नो - आर्थिक मूल्यांकन करना तथा मूल्यांकित तकनीकों को स्वीकार करना।

iii.) ऐसी प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ाने के लिए आवश्यक किसी अन्य गैर-प्रौद्योगिकीय/ मध्यस्थताओं की सिफारिश करना।

> “तकनीकी समिति जल जीवन मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों को तकनीकों की पहचान करेंगे और उन्हें अपनाने में सहायता करेगी।”

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

सामान्य लक्ष्यों के लिए मिलकर काम करना

जल शक्ति के स्वीडन दौरे के दौरान फोकस में साफ पानी

समझौता ज्ञापन

जल शक्ति मंत्रालय ने अपने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के माध्यम से विभिन्न देशों के साथ जल संसाधन प्रबंधन और विकास के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

हाल ही में गंगा नदी संरक्षण के संबंध में अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे, ऑस्ट्रेलिया के एम.ए.आर.वी. आई. भागीदारों, नॉर्वे के जियो तकनीकी संस्थान और यूनाइटेड किंगडम तथा स्कॉटलैंड के साथ पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

माननीय मंत्री जी की यात्राएं

माननीय जल शक्ति मंत्री ने इजरायल-भारत की रणनीतिक भागीदारी के जल कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इजरायल का दौरा किया, यह कार्यक्रम 18 नवंबर, 2019 को जेरूसेलम में आयोजित किया गया था और साथ ही उन्होंने टेल अवीव, इजरायल में डब्ल्यू.ए.टी.ई.सी. इजरायल 2019 में भी हिस्सा लिया।

15 से 17 अक्टूबर, 2019 के दौरान, माननीय मंत्री ने बुडापेस्ट, हंगरी में आयोजित बुडापेस्ट वॉटर समिट, 2019 में भाग लिया। जिसमें माननीय मंत्री ने हंगरी के राष्ट्रपति, हंगरी के आंतरिक मंत्री और हंगरी के कृषि मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

विदेशी यात्राएं/ प्रतिनियुक्तियां

जल संसाधन प्रबंधन, लघु सिंचाई, जल के विवेकपूर्ण उपयोग, सिंचाई प्रबंधन, फसल उत्पादन में वृद्धि, बाढ़ आपदा प्रबंधन और बांध सुरक्षा और पुनरूद्धार, गंदे जल के शोधन, सीवेज शोधन, आकृतिक नमूनों वाले (मोरफोलॉजिकल कृषि), पर्यावरणीय संरक्षण के क्षेत्र में क्षमता संवर्धन के लिए लगभग 200 अधिकारियों को विदेश में प्रशिक्षण, प्रशिक्षण, सेमिनार और सम्मेलनों के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।

जल शक्ति मंत्री ने इजराइल राज्य के ऊर्जा मंत्री के साथ मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया

> "जल शक्ति मंत्रालय ने अपने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के माध्यम से विभिन्न देशों के साथ जल संसाधन प्रबंधन और विकास के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।"

भारत-बांग्लादेश सहयोग

वर्ष 1972 से भारत और बांग्लादेश सामूहिक नदी प्रणालियों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए प्रभावशाली संयुक्त प्रयास सुनिश्चित करने हेतु संपर्क बनाए रखने के उद्देश्य से भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग (जे.आर.सी.) पर कार्य कर रहे हैं।

दिनांक 7 और 8 अगस्त, 2019 को ढाका में भारत और बांग्लादेश के बीच जल संसाधन पर सचिव स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी।

इसके बाद दिनांक 27 सितंबर, 2019 को नई दिल्ली में भारत-बांग्लादेश संयुक्त दल की एक बैठक आयोजित की गई थी।

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के भारत दौरे के दौरान 5 अक्टूबर, 2019 को भारत के त्रिपुरा के सबरूम शहर के लिए पेयजल आपूर्ति परियोजना हेतु भारत द्वारा फेनी नदी से 1.82 क्यूसेक जल प्राप्त करने के लिए बांग्लादेश की पीपल्स रिपब्लिक सरकार के जल संसाधन विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया।

भारत - नेपाल सहयोग

पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना: महाकाली नदी के एकीकृत विकास के लिए पंचेश्वर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। 29 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली, भारत में पंचेश्वर विकास प्राधिकरण (पी.डी.ए.) के शासी निकाय (जी.बी.) की सातवीं बैठक आयोजित की गई थी।

इसके अलावा, सप्तकोशी उच्च बांध बहुउद्देशीय परियोजना और सुन कोशी भंडारण-सह-डायवर्जन परियोजना (कमल डायवर्सन सहित) पर भी कार्य किए जा रहे हैं। दिनांक 25-26 जुलाई, 2019 को नई दिल्ली में नेपाल और भारत के बीच संयुक्त विशेषज्ञ टीम (जे.टी.ई.) की 16वीं बैठक आयोजित की गई थी।

भारत - चीन सहयोग

वर्ष 2002 में भारत सरकार और जनवादी गणराज्य चीन के बीच बाढ़ ऋतु के दौरान चीन द्वारा भारत को यालु जांगबू/ ब्रह्मपुत्र नदी की हाइड्रोलॉजिकल सूचना दिए जाने के प्रावधान पर समझौता ज्ञापन किया गया था। समझौता ज्ञापन के अनुसार, चीनी पक्ष यालु जांगबू/ ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित हाइड्रोलॉजिकल सूचना उपलब्ध कराएगा जिसका उपयोग करके सी.डब्ल्यू.सी. बाढ़ की संभावनाओं का पता लगता है। इस समझौता ज्ञापन को जून, 2008, मई, 2013 और जून, 2018 में अगले 5 वर्षों की वैधता सुनिश्चित करने के साथ नवीकृत किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के दौरान अक्टूबर, 2013 में दोनों पक्षों ने 23 अक्टूबर, 2013 को "ट्रांस बॉर्डर नदी पर सुदृढ़ सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन" पर भी अलग से हस्ताक्षरित किया था।

इसी प्रकार, 11 अप्रैल, 2005 को चीन के साथ एक अलग समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया जिसके तहत बाढ़ ऋतु में चीन द्वारा लैंग्क्वेन जांगबू/ सतलज नदी से संबंधित हाइड्रोलॉजिकल सूचना भारत को देने का प्रावधान किया गया था। चीन की ओर से वर्ष 2007 से टसादा स्टेशन को हाइड्रोलॉजिकल सूचना उपलब्ध कराई जा रही है। दिसंबर, 2010 में इस समझौता ज्ञापन को अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था और इसके बाद पुनः 6 नवंबर, 2015 को भी अगले 5 वर्षों के लिए इसे नवीकृत किया गया था।

> सिंधु जल समझौते के अनुसार सिंधु व्यवस्था की 6 नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज के हाइड्रोलॉजिकल स्थानों के दैनिक जी एंड डी आंकड़ों को प्रतिमाह पाकिस्तान भेजा जाता है।

भारत- भूटान सहयोग

"भारत और भूटान की सामूहिक नदियों की हाइड्रो-मेटेरोलॉजिकल तथा बाढ़ संभावना नेटवर्क की स्थापना के लिए व्यापक योजना" के तहत भूटान में हाइड्रो-मेटेरोलॉजिकल/ मेट्रोलॉजिकल स्टेशन नेटवर्क स्थापित किए गए हैं जिसका प्रचालन एवं रखरखाव भूटान रॉयल सरकार (आर.जी.ओबी.) द्वारा भारत सरकार के वित्त पोषण से किया जाता है। इन स्टेशनों से प्राप्त सूचना का उपयोग करके सी.डब्ल्यू.सी. बाढ़ की संभावना का पता लगाता है। भारत सरकार और भूटान के रॉयल सरकार के अधिकारियों वाले संयुक्त विशेषज्ञ दल की बैठक प्रतिवर्ष 2 बार आयोजित की जाती है जिसमें योजना की प्रगति तथा अन्य आवश्यकताओं की समीक्षा की जाती है। संयुक्त विशेषज्ञ दल की पिछली बैठक (35 वीं बैठक) दिनांक 6-7 मार्च, 2019 के दौरान को पारो (भूटान) में आयोजित की गई थी।

भूटान से बहने वाली नदियां, जो भारत में आती हैं, उनसे होने वाले बाढ़ की समस्या से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 7-8 जनवरी, 2020 को संयुक्त विशेषज्ञ समूह की एक अन्य बैठक आयोजित की गई थी।

सिंधु जल समझौता

सिंधु जल समझौते के अनुसार सिंधु व्यवस्था की 6 नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज के हाइड्रोलॉजिकल स्थानों के दैनिक जी एंड डी आंकड़ों को प्रतिमाह पाकिस्तान भेजा जाता है। फसल वर्ष 2019-19 के लिए सिंधु, झेलम और चेनाब बेसिन से सिंचाई किए गए फसल क्षेत्र के आंकड़ों को समेकित करके सिंधु जल समझौते के प्रावधानों के अनुसार नवंबर, 2019 में पाकिस्तान भेजा गया था।

विश्व जल सप्ताह 2019, स्टॉकहोम, स्वीडन में जल शक्ति मंत्री

150वीं जयन्ती मनाया जाना

महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि

साबरमती आश्रम में प्रधानमंत्री मोदी

"सच्चा व्यक्तित्व अकेले ही सत्य तक पहुंच सकता है।"

महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि

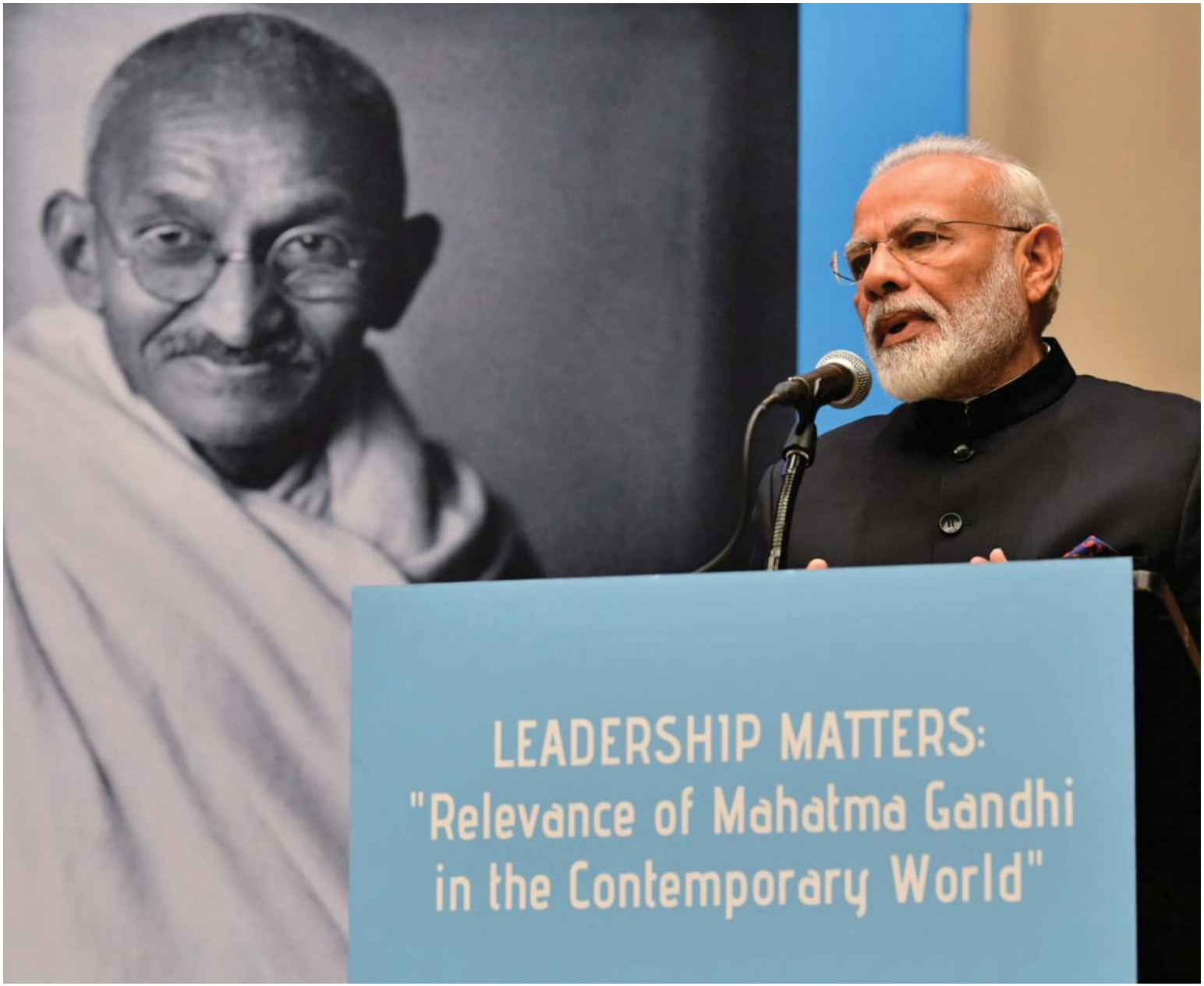

संयुक्त राष्ट्र असेंमबली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय मिशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की

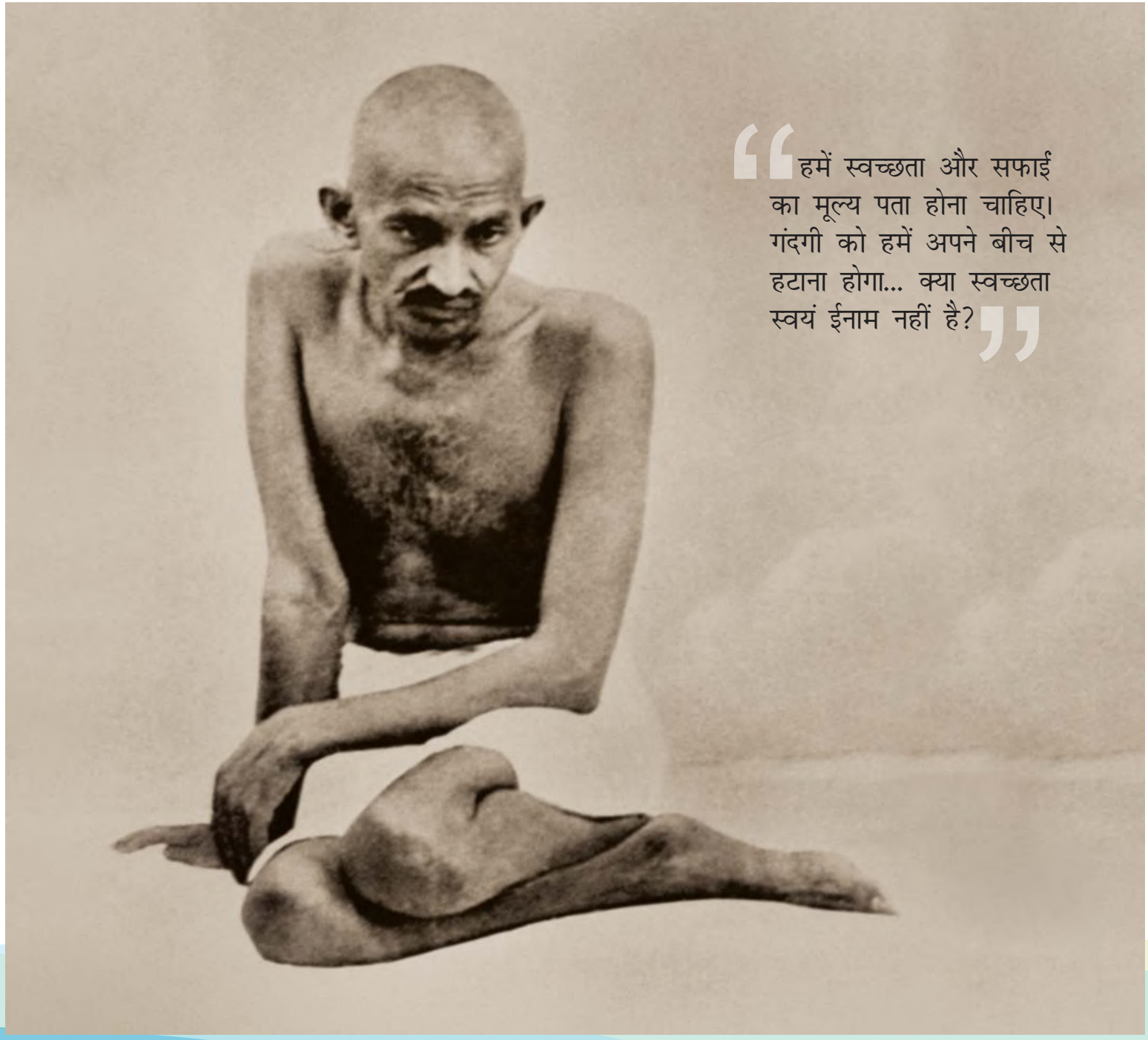
“हमें स्वच्छता और सफाई का मूल्य पता होना चाहिए। गंदगी को हमें अपने बीच से हटाना होगा... क्या स्वच्छता स्वयं ईनाम नहीं है?”

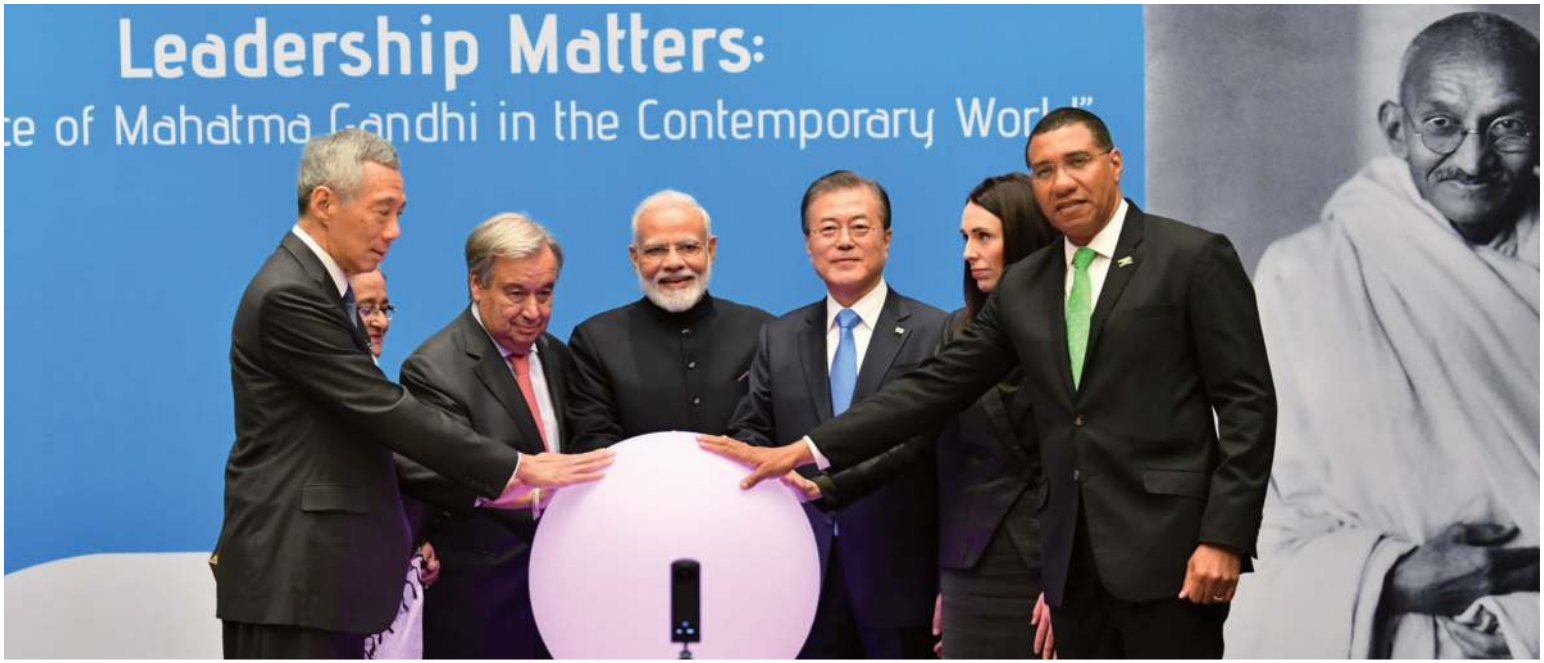

प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व मामलों में विश्व नेताओं के साथ: समकालीन विश्व में गांधी की प्रासंगिकता, 24 सितंबर 2019, न्यूयॉर्क

"मैं किसी को गंदे पैर के साथ अपने मन से नहीं गुजरने दूंगा।"

"नदियों को साफ रखकर हम अपनी सभ्यता को जिंदा रख सकते हैं।"

महात्मा गांधी

स्वच्छ महोत्सव - 2019 विज्ञान भवन, नई दिल्ली, 6 सितंबर 2019

जल जीवन मिशन पर सर्वश्रेष्ठ झांकि गणतंत्र दिवस परेड - 2020

हर घर जल
जल जीवन मिशन

जल जीवन मिशन
हर घर जल

मिलकर करें काम
बनाएँ जीवन आसान

जलशक्ति मंत्रालय
भारत सरकार
श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग नई दिल्ली 110001